भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT

तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के तल मंजिल पर स्थित क्लाइंस अनुभाग का नवीनीकरण केलिए निविदा

TENDER FOR RENOVATION OF CLAIMS SECTION AT GROUND FLOOR OF BANK'S MAIN OFFICE BUILDING, THIRUVANANTHAPURAM

भाग - I (तकनीकी - वाणिज्यिक बोली)

निविदाकार का नाम Name of Tenderer: ___________________________________

पता Address: ____

____

निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	19 मई, 2025 अपराह्न 03:00 बजे से
बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की वैधता	निविदा खुलने की तारीख से 90 दिन।
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	10 जून, 2025 को 11:00 बजे।
बोलियां जमा करने की शुरुआत की तारीख	11 जून, 2025 अपराह्न 05:00 बजे से
निविदा जमा करने की आखिरी तारीख	23 जून, 2025 अपराह्न 03:00 बजे तक
निविदा खुलने की तारीख	23 जून, 2025 को अपराह्न 04:00 बजे

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की प्रॉपर्टी है। आरबीआई की लिखित परमिशन के बिना इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे मीडियम पर कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय उस मकसद के लिए आरबीआई को जवाब देने के मकसद के। इस दस्तावेज के कंटेंट का इस्तेमाल, यहां तक कि प्राधिकृत कार्मिकों/एजेंसियों द्वारा भी, यहां बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए करना पूरी तरह से मना है और इसे कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस लिए, यह भारतीय कानून के तहत सज़ा का हकदार होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग , तिरुवनंतपुरम ने यह दस्तावेज परियोजना में दिलचस्पी रखने वालों को बैकग्राउंड जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसकी कोई अथॉरिटी या एजेंसी और न ही उनके कोई अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के पूरा होने या सही होने के बारे में कोई गारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह साफ़ तौर पर हो या छिपा हुआ।

यह जानकारी पूरी नहीं है। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें खुद पूछताछ करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखकर पुष्टि करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय सिर्फ़ आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसकी किसी भी अथॉरिटी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए नॉन-बाइंडिंग है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वह इस परियोजना को आगे न बढ़ाए या परियोजना का कॉन्फ़िगरेशन न बदले, इस दस्तावेज में दिखाए गए टाइमटेबल को न बदले या लागू होने वाले प्रक्रिया या प्रोसीजर को न बदले। इसके पास यह भी अधिकार है कि वह इस मामले में दिलचस्पी दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ आगे बात करने से मना कर दे। दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों या एंटिटी को किसी भी तरह के खर्च का कोई रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा।

निविदा आमंत्रण सूचना

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के भूतल पर दावा अनुभाग के नवीनीकरण के लिए निविदा।

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, बैंक के एम्पैनल्ड **विक्रेतओं/संविदार्स** से बताए गए काम के लिए ई-**निविदा** मंगा रहा है। इन कामों की कीमत 10 से 25 लाख रुपये के बीच है। **निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी लि.** के ई-**निविदा** पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/rbi) के ज़रिए की जाएगी । सभी दिलचस्पी रखने वाले सूचीबद्ध विक्रेतओं/ ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए एमएसटीसी लि. के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा। ई-निविदा का समय सारणी इस तरह है:

क . कार्य का नाम	बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड फ्लोर पर क्लेम सेक्शन का रेनोवेशन
b. कार्य की अनुमानित लागत	**जीएसटी सहित ₹ 18 लाख**
सी . ई-निविदा संख्या	**आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/3/25-26/ईटी/108**
घ . निविदा का तरीका	**ई-खरीद प्रणाली** (ऑनलाइन: भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (www.mstcecommerce.com/eprocn/rbi))
ई . NIT / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है।	19 मई, 2025, अपराह्न 03:00 बजे से
च. प्री-बोली मीटिंग की तिथि	10 जून, 2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे
जी. एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख	11 जून, 2025 अपराह्न 05:00 बजे से
एच. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	23 जून, 2025 अपराह्न 03:00 बजे
आई . निविदा खुलने की तारीख और समय	23 जून, 2025 को अपराह्न 04:00 बजे
जे. लेनदेन शुल्क	**एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा चार्ज किया गया।**

भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर जारी किया जाता है, तो उसे सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है और उसे अखबार में नहीं छापा जाएगा।

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद इवेंट है। ई-खरीद सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के शुद्धिपत्र, अगर कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो फ्री है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रेमण पत्र होना चाहिए। विक्रेता को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाना के लिए अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। एमएसटीसी ऐसा इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोली रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)। विशेष टिप्पणी: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली **और** मूल्य बोली **www.mstcecommerce.com/eprocn/rbi** के ज़रिए ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। विक्रेता के तौर पर रजिस्टर करें, विवरण भरें और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं एवं प्रस्तुत करें । ज़्यादा जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं । विक्रेतओं को उनके पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण को पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल मिलेगा। किसी भी पुष्टिकरण के लिए, कृपया एमएसटीसी/ आरबीआई से संपर्क करें, (ई - निविदा के तय समय से पहले)।

a)संपर्क कार्मिक (MSTC) विक्रेतओं के लिए:

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेतओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी टेक्निकल मामलों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग वगैरह के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 5:00 तक।

ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड – केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	**ईमेल आईडी**	**लैंडलाइन नंबर**	**मोबाइल नहीं है।**
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmstc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in; tvcopn3@mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल ब्रांच ऑफिस की जानकारी:

पता: पहली मंज़िल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, स्टैच्यू, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686

<u>संपर्क व्यक्ति (आरबीआई - केवल ऑफिस के समय में):</u>

1. श्री षाजी कृष्णन (सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग)
   0471-278 3030/ (kshajikrishnan@rbi.org.in)
2. श्री डी भरत कुमार (सहायक प्रबंधक, संपदा विभाग)
   0471-278 3042/ (bharathd@rbi.org.in)

   मार्गदर्शक

<u>1. प्रणाली मांग</u> :

https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर मौजूद **DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE** देख सकता है ।

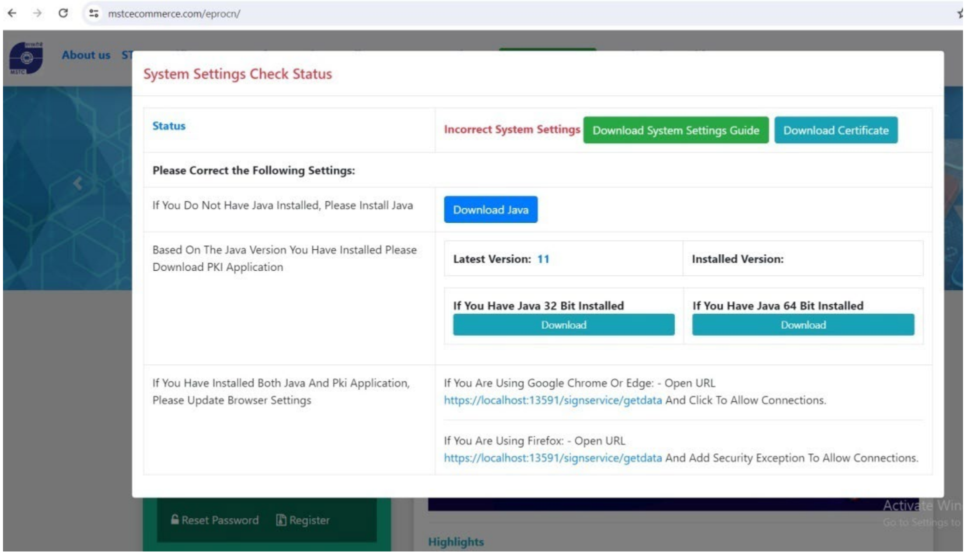

<u>2. लेन-देन शुल्क के प्रति विशेष नोट</u> : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बोली फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनदर करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि बिना उसमें बदलाव किए भेजेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा

<u>लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा</u> । लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं मिलेगा।

<u>नोट</u> : बोली लगाने वालों को सूचित किया जाता है कि वे इवेंट के बंद होने से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें, ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए काफ़ी समय मिल सके।

3. निविदा/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा अंतिम होने तक प्रक्रिया के दौरान सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेतओं को यह पक्का करना होगा कि एमएसटीसी लि. के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय दी गई उनकी कॉर्पोदर ईमेल आईडी वैलिड और अपडेटेड हो। विक्रेतओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैलिडिटी पक्का करें। ।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा एक्सेस नहीं किया जा सकता ।

<u>5. बोली लगाना ई-निविदा :</u>

नोट: विक्रेतओं को दस्तावेज लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड करने के लिए My menu में Upload Documents लिंक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है । एक से ज़्यादा दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं । अपलोड के लिए एक दस्तावेज का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 MB है ।

लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड होने के बाद, विक्रेत उस खास ई -निविदा के साथ ***अटैच*** दस्तावेज ***लिंक के ज़रिए*** दस्तावेज ***अटैच कर सकते हैं*** ।कृपया ध्यान दें कि अगर दस्तावेज किसी ई -निविदा के साथ अटैच नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई डाउनलोड नहीं कर सकता। और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं ।ज़्यादा मदद के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों फ़ॉलो करें ।

a) बोलीदाता ज़रूरी ईएमडी**,** ई - निविदा शुल्क**,** अगर कोई हो**,** जमा करनी होगी और ई - निविदा के लिए लेनदेन शुल्क अलग से देनी होगी। अगर कोई लेनदेन शुल्क है**,** तो वह वापस नहीं दिया जाएगा।

b) इस **प्रक्रिया** में **तकनीकी वाणिज्यिक बोली** के साथ-साथ **मूल्य बोली** जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक **बोली लगाना** शामिल है **।**

जिन बोलियों ने ऊपर दी गई शुल्क जमा कर दी है**,** वे अपनी टेक्नो कमर्शियल बिड्स और मूल्य बोली सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए एमएसटीसी की वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** पर जमा कर सकते हैं । ई - खरीद → नया कॉमन पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चुनाव → लेनदेन शुल्क->कॉमन टर्म्स->दस्तावेज अटैच करें->मूल्य बोली ।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण सफलतापूर्वक भेजने के बाद, विक्रेता के लॉगिन में 'संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्त' टैब चालू हो जाएगा। इस स्टेप के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेतओं को लॉट की खास शर्तों को सेव करने और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने या मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करने की इजाज़त होगी, जैसा भी मामला हो। अगर दस्तावेज अटैच करने और/या कॉमन टर्म्स सेव करने का स्टेप कामयाब नहीं होता है, तो लॉट की खास शर्तों को सेव करने और मूल्य बोली प्रस्तुत करने वाले टैब बंद हो जाएँगे। यह सफलतापूर्वक/पेंडिंग है या नहीं, इसका स्टेटस बोली स्टेटस बटन में दिखेगा।

c) सबसे पहले विक्रेता को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन, अगर कोई हो, भरकर सेव करना होगा । फिरविक्रेता को - टेक्नोकमर्शियल बोली भरनी चाहिए । टेक्नो - कमर्शियलबोली भरने के बाद , बोलीर को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव पर क्लिक करना चाहिए । 'ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक एक्टिव हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीर को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए " सेव पर क्लिक करना चाहिए । "फिर जब टेक्नो कमर्शियल -बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाएं, तो बोली रअपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "अंतिम सबमिशन बटन "पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " डिलीट बोली " ऑप्शन दिखेगा। अगर विक्रेता अंतिम प्रस्तुति के बाद बोली डिलीट करना चाहता है और बोली को दोबारा प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे डिलीट बोली पर क्लिक करके उसे दोबारा प्रस्तुत करना चाहिए और फिर से अंतिम प्रस्तुति पर क्लिक करना चाहिए ।

d) सभी मामलों में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल **हस्ताक्षर** के साथ अपनी **आईडी** और पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए **।**

e) पूरे ई **-निविदा प्रक्रिया** के दौरान, **बोलियों** एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से एनॉनिमस रहेंगे **।**

f) ई **-निविदा फ़्लोर पहले से**बताई गई तारीख और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा **।**

g) ई **-निविदा प्रक्रिया** के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक **बोली बोली**र पर कानूनी तौर पर लागू होंगी **। किसी भीबोली को उस बोली र की दी गई वैलिडबोली माना जाएगा और बायर के उसे स्वीकार करने / से सप्लाई**काम पूरा करने के लिए बायर और **बोली**र के बीच एक बाइंडिंग **संविदा** बन जाएगा। **ऐसे सफलनिविदा र को आगेसप्लायर /ठेकेदार** कहा जाएगा **।**

h) यह ज़रूरी है कि सभी बिड्स क्लास ।।। साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल **हस्ताक्षर प्रेमण पत्र** के साथ **प्रस्तुत** की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें **स्वीकृत** नहीं करेगा **।**

i) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, **निविदा** को पूरी तरह या कुछ हिस्से में कैंसल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है **।**

j) **-** निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्त में कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है । किसी भी बोलीर का ई - निविदा फ्लोर में बोली जमा करना यह पुष्टि करता है कि उसने ई - निविदा के निबंधन एवं शर्त मान लिए हैं ।

k) यूनिट ऑफ़ मेज़र (UOM) ई - निविदा फ़्लोर में बताया गया है । कोट किया जाने वाला दर ई - निविदा फ़्लोर / निविदा दस्तावेज में बताए गए UOM के अनुसार भारतीय रुपये में होना चाहिए।

निविदा का पार्ट । खुलने के बाद निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्त में कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है। किसी भी विक्रेता का ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करना यह पुष्टि करता है कि उसने निविदा के निबंधन एवं शर्त मान लिए हैं। इस निविदा से मिलने वाला कोई भी ऑर्डर इसमें बताए गए निबंधन एवं शर्त के हिसाब से होगा। निविदा बुलाने वाली अथॉरिटी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को कैंसिल करने या बोली मिलने की ड्यू डेट बढ़ाने का अधिकार है।

वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता गाइड पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprocn पेज पर वीडियो देखें।

विक्रेतओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स संविदा' पर बिना जीएसटी के दर बताएं और जीएसटी मिलाकर टोटल कॉस्ट सिस्टम से कैलकुलेट की जाएगी। बताए गए दर में कोई बदलाव स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

<u>महत्वपूर्ण नोट</u>

मूल्य बोली में शब्दों की लिमिट की वजह से पूरी जानकारी नहीं दी जा सकी, और दी गई जानकारी छोटी है। **दर** बताने से पहले, सभी **ठेकेदार** को इस **निविदा दस्तावेज** में दिए गए **मात्रा** शेड्यूल और दूसरे स्पेसिफिकेशन/**निबंधन एवं शर्त** में दी गई हर आइटम की पूरी जानकारी पढ़नी होगी। एग्जीक्यूशन और **दर** के मकसद से, इस **निविदा दस्तावेज** में **मात्रा** शेड्यूल में दी गई जानकारी को लागू किया जाएगा।

संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड फ्लोर पर क्लेम सेक्शन का रेनोवेशन।

<u>अंतर्वस्तु</u>

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1)	निविदा का प्रारूप	9
2)	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	11
3)	अनुबंध की सामान्य शर्तें	16
4)	अनुबंध की विशेष शर्तें	31
5)	सुरक्षा कोड	33
6)	अग्नि सुरक्षा कोड	34
7)	यहां पहले संदर्भित परिशिष्ट	35
8)	अप्रूव्ड ब्रांड और/या मैन्युफैक्चरर के मटीरियल की लिस्ट	36
9)	मात्राओं की अनुसूची	37
10)	पीबीजी का प्रोफार्मा	44
11)	समझौते के लेख	47
12)	निषेध के संबंध में वचन	53
13)	चित्र	54

Form of Tender

खंड–ए /SECTION – A

प्रस्ताव का पत्र / LETTER OF OFFER

स्थान/ Place:

तारीख/ Date:

सेवा में/ To

श्री तोमस मातु/ Shri Thomas Mathew
क्षेत्रीय निर्देशक/ Regional Director
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India,
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram – 695033

महोदय/ Sir,

यहाँ इसके बाद निर्दिष्ट ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में विशेष विवरण, अभिकल्पना और मात्रा - अनुसूची की जाँच करने के पश्चात् और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थान को देखने और उसकी जाँच करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम इसके द्वारा ऐसी सभी शर्तों के अनुरूप जो जिस रूप में लागू होगी, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को समय-ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्रा - अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा हर प्रकार से विअनुदेशों, अभिकल्पनाओं, रेखाचित्रों और निविदा की शर्तों में दिये गये लिखित अनुदेशों, "करार की शर्तों", विशेष शर्तों, मात्रा – अनुसूची और संविदा की शर्तों और उसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के साथ सप्लाइ और कार्य का निष्पादन करने का प्रस्ताव करते हैं।
Having examined the specifications, drawings and Schedule of Quantities relating to the works specified in the memorandum hereinafter set out and having visited and examined the site of the works specified in the said Memorandum and having acquired the requisite information relating thereto as affecting the tender, I/we hereby offer to execute the works specified in the said Memorandum within the time specified in the said Memorandum at the rates mentioned in the Schedule of Quantities and in accordance in all respects with the Specifications, Designs and instructions in writing referred to in Conditions of Tender, the Articles of Agreement, Special Conditions, Schedule of Quantities and Conditions of Contract and with such materials as are provided for, by and in all other respects in accordance with such conditions so far as they may be applicable.

ज्ञापन/ MEMORANDUM

(क)	कार्यो का विवरण/ Name of work	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के तल मंजिल पर स्थित क्लाइंस अनुभाग का नवीनीकरण / Renovation of Claims section at ground floor of Bank's Main Office building, Thiruvananthapuram**.**
(ख)	भुगतान की शर्तें/ Terms of Payment	सामान्य अनुदेशों के खंड 32 और परिशिष्ट के अनुसार/ As per clause 32 of the General conditions of contract and Appendix.
(ग)	कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय/ Time allowed for completion of work	स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 वें दिन से 9 हप्ते Nine weeks from the 10th day of date of issue of work order
(घ)	अनुमानित लागत/ Estimated Cost	रु **18 लाख**. (जि.एस. टी के साथ/ **₹18 lakh inclusive of जीएसटी**

(ङ)	बिल से प्रतिधारण धन के प्रति कितना प्रतिशत कटौती की जाएगी, यदि कोई हो/ Percentage if any to be deducted from Bill towards Retention Money (R.M)	5% from each bill (Maximum of 5% of contract amount).

यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम इसके द्वारा यहाँ इसके साथ संलग्न उक्त संविदा की शर्तों और उक्त शर्तों के उपबंधों का पालन करने और उस सीमा तक उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ /हैं जहां तक वे लागू हैं अथवा वैसा न कर पाने की स्थिति में उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि ज़ब्त किये जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

1. Should this tender be accepted, I/we hereby agree to abide by and fulfill the terms and provisions of the said Conditions of Contract annexed hereto so far as they may be applicable or in default thereof to forfeit and pay to the Reserve Bank of India the amount mentioned in the said conditions.

हमारे बैंकरों के ब्योरे निम्नानुसार हैं/ Our Bankers are:

i)

ii)

भवदीय/Yours faithfully,

संविदाकार के हस्ताक्षर/ Signature of the Tenderer

खंड बी

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. **बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड फ्लोर पर 'क्लेम सेक्शन के रेनोवेशन'** के काम के लिए आरबीआई पोर्टल के तहत एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा 23 जून, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक जमा करना होगा । टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 23 जून, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे के बाद कोई निविदा नहीं मिलेगा। एमएसटीसी पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

2. बोली अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए बैंक के इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। बैंक निविदा को कोई भी अतिरिक्त शर्त रखने से मना करता है। लेकिन, अगर निविदा कोई शर्त/पुष्टिकरण शामिल करना चाहते हैं, तो उसे एमएसटीसी पोर्टल पर उनके लेटर हेड में अलग से अपलोड करना होगा। अगर कोई पुष्टिकरण/शर्त वगैरह अपलोड किए गए हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और सभी निविदा से बातचीत के बाद, जो शर्त बैंक को मंज़ूर हैं, उनके बारे में निविदा को बताया जाएगा। निविदा खुलने के बाद दर या शर्त में किसी भी बदलाव की अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन, बोलियों की रखी शर्त को मानने का बैंक का फैसला आखिरी और ज़रूरी होगा।

3. बोली लगाने वाले तय तारीख और समय पर बैंक के मेन ऑफिस में निविदा ओपनिंग इवेंट के लिए आ सकते हैं। निविदा 23 जून, 2025 को अपराह्न 04:00 बजे या उसके बाद की तारीख और समय पर खोला जाएगा। इसकी जानकारी बोली लगाने वालों को दी जाएगी।
4. सभी सूचना, पत्राचार पत्र श्री थॉमस मैथ्यू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में प्रस्तुत और संबोधित किए जाएंगे।
5. निविदा खुलने की तारीख से तीन महीने के समय तक बैंक द्वारा मंजूरी के लिए निविदा वैलिड रहेंगे, इस समय को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और निविदा देने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।

6. संविदा पूरा होने तक बताए गए दर पक्के और मानने वाले होंगे, जिनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एमएसटीसी पोर्टल पर मूल्य बोली में शब्दों की संख्या कम होने की वजह से, पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। हालांकि, निविदा देने वाले को इस निविदा दस्तावेज से सभी स्पेसिफिकेशन/ड्राइंग/शर्तें पढ़नी होंगी।

7. किसी भी आइटम के लिए, अगर दर और मात्रा के बिल में राशि के हिसाब से मैच नहीं करते हैं, तो सिर्फ़ बताए गए दर के आधार पर मिली रकम पर ही विचार किया जाएगा।

8. इस निविदा के निबंधन एवं शर्त से खुद को परिचित कराने के लिए निविदा जमा करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

9. अगर कोई भी दस्तावेज गायब है, तो बैंक अपनी मर्ज़ी से निविदा को इनवैलिड मान सकता है। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की कोई सलाह नहीं ली जाएगी।

10. 'ई-**खरीद** के लिए गाइडलाइंस' में दिए गए तरीकों के हिसाब से लेनदेन शुल्क देनी होगी । **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं मिलेगा।

11. **काम देने पर, सफल बोली लगाने वाले को संविदा की शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए, संविदा अवधि के लिए वैलिड, मंज़ूर संविदा वैल्यू का 5% परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करनी होगी, या पीबीजी के बराबर रकम ऑनलाइन मोड (एनईएफटी / आरटीजीएस) से जमा करनी होगी। अगर किसी ज़रूरी**

वजह से पीबीजी के बराबर रकम जमा करने में देरी होती है, तो ठेकेदार के बिल से बैंक दर पर चार्ज वसूला जाएगा ।

पीबीजी/ सफल निविदा देने वाले द्वारा भुगतान की गई पीबीजी के बराबर रकम , संविदा को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति जमाराशि (एसडी) के तौर पर रखी जाएगी । इस डिपॉज़िट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बैंक अपने बिल/बिलों से किए गए काम की कुल कीमत का 5% रिटेंशन मनी के तौर पर काट लेगा। एसडी (पीबीजी/ पीबीजी के बराबर रकम) ठेकेदार को काम पूरा होने पर जारी किया जाएगा और आरएम, 12 महीने का डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। अगर सफल निविदा देने वाला और आरएम संविदा की किसी भी शर्त का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसकी प्रतिभूति जमाराशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, चाहे पूरी तरह से या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखता है।

13. नियोक्ता से अपने निविदा की स्वीकृति होने की जानकारी मिलने पर, सफल बोलीर संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर सफल बोलीर ड्राफ्ट करार और शर्तों के शेड्यूल के अनुसार एक करार पर साइन करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग संविदा बन जाएगी, चाहे ऐसा फॉर्मल करार बाद में किया जाए या नहीं।

14. इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिए जाने वाले सभी मुआवज़े या दूसरी रकम को प्रतिभूति जमाराशि से काटा जा सकता है, अगर रकम इसकी इजाज़त देती है और संविदार, जब तक कि ऐसी डिपॉज़िट किसी और तरह से देने लायक न हो जाए, ऐसी कटौती के दस दिन के अंदर काटी गई रकम को कैश में वापस करेगा।

15. ठेकेदार संविदा किसी और को नहीं देगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, बैंक ठेकेदार को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद प्रतिभूति जमाराशि बैंक ज़ब्त कर लेगा।

16. ठेकेदार सारा काम बैंक के इंजीनियर के डिज़ाइन और ड्राइंग, विवरण, विनिर्देश और अनुदेशों के हिसाब से ही करेगा। अगर बैंक के इंजीनियर की राय में डिज़ाइन में बदलाव करने हैं और नियोक्ता की लिखित मंज़ूरी से वे ठेकेदार से यह काम करवाना चाहते हैं, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यह काम करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और उस पर विवाचन नहीं होगा।

17. हर काम और विनिर्देश के बारे में संभावित मात्रा का एक शेड्यूल बोलियों के लिए इन अनुदेशों के साथ दिया गया है। संभावित मात्रा के शेड्यूल में बैंक अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है।

18. निविदा देने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्चे पर वह सारी जानकारी लेनी होगी जो निविदा करने और संविदा करने के लिए ज़रूरी हो सकती है। उसे ड्रॉइंग (अगर कोई हो) की जांच करनी होगी और काम की जगह का निरीक्षण करना होगा और सभी लोकल हालात, काम तक पहुंचने के तरीके, काम का नेचर और उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लेनी होगी।

19. निविदा में दिए गए दर में काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद साइट को साफ करने, सेंटरिंग, बॉक्सिंग, स्टेजिंग, प्लैंकिंग, प्लांट और इक्विपमेंट, स्टोरेज शेड, रात और दिन में निगरानी और लाइटिंग, रविवार और छुट्टियों सहित, प्लंबिंग और बिजली सप्लाई के इंतज़ाम के लिए टेम्पररी लाइनें (बैंक के परिसर में मौजूद सोर्स से पानी और बिजली मिल सकती है), जनता की सुरक्षा और दीवारों, बिल्डिंग और दूसरी सभी चीज़ों की सेफ्टी शामिल होगी और

ठेकेदार ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी सभी सेंटरिंग, मचान, स्टेजिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए खराब हुई सभी चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दिए गए दर साइट पर मापे जाने वाले पूरे काम के लिए माने जाएंगे। दर भी पक्के होंगे और एक्सचेंज में बदलाव, लेबर की शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी तरह की शर्तों के अधीन नहीं होंगे।

20. एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा में हर आइटम के दर जीएसटी के बिना बताए जाएंगे। जीएसटी समेत कुल रकम एमएसटीसी पोर्टल कैलकुलेट करेगा और जीएसटी समेत सभी आइटम की कुल रकम को कुल संविदा वैल्यू माना जाएगा। हर इनवॉइस / बिल में दूसरी चीज़ों के साथ-साथ ठेकेदार का पीएएन और जीएसटी पंजीकरण नंबर भी लिखा होगा। संविदा की कीमत पर कानून के हिसाब से स्रोत पर कर कटौती / कर रोकना भी लगेगा। **बिक्री कर**, वर्क **संविदा** पर **बिक्री कर**, **उत्पाद शुल्क**, **सीमा शुल्क**, ऑक्ट्रॉय या कोई और **कर**, **शुल्क** या लेवी, **सेवा कर**, चाहे वह अभी हो या भविष्य में, **नियोक्ता** कोई **दावा नहीं किया जाएगा**।
21. मात्रा के शेड्यूल में दी गई मात्रा लगभग काम की कुल सीमा बताती हैं, लेकिन ये किसी भी हद तक अलग हो सकती हैं और इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे संविदा की कुल वैल्यू बदल सकती है। हालांकि, काम के असल में पूरा होने के दौरान, अगर काम के किसी भी आइटम की मात्रा निविदा की मात्रा के 25% से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक के इंजीनियर की अथॉरिटी से और नियोक्ता की सहमति से, निविदा की मात्रा के 25% से ज़्यादा किए गए ऐसे आइटम की मात्रा को काम का एक अतिरिक्त आइटम माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार असल लागत के आधार पर किए गए दर एनालिसिस के साथ नए दर जमा करेंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और प्रॉफिट के लिए 15% और जोड़ेंगे। काम के ऐसे सभी आइटम के दर, जो अभी के हैं, निविदा में दिए गए एस्केलेशन फ़ॉर्मूले के अनुसार, अगर कोई हो, तो मटीरियल और लेबर दर की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी के कारण मूल्य एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर नियोक्ता की मर्ज़ी से स्वीकृत किए गए निविदा से काम का कोई भी आइटम हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस वजह से किसी भी क्लेम का हकदार नहीं होगा।
22. मेमोरेंडम में बताए गए काम को पूरा करने के लिए दिए गए समय का **ठेकेदार** को सख्ती से पालन करना होगा और इसे काम शुरू करने के लिए लिखित ऑर्डर जारी होने के 10**वें दिन** से माना जाएगा ।

23. संविदा के तय समय के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा की जनरल कंडीशंस के क्लॉज़ 27 में बताए गए हिसाब से मुआवज़ा देना होगा। निविदा देने वाले को काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे नियोक्ता से मंज़ूरी लेनी होगी। अगर ठेकेदार डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम के हिसाब से काम जारी रखने में नाकाम रहता है या काम को आसानी से करने के लिए ज़रूरी लेबर नहीं लगा पाता है, तो बैंक के पास किया गया संविदा करार कैंसिल करने का अधिकार है।

24. निविदा पर सिर्फ़ उन ठेकेदार की लिस्ट से ही विचार किया जाएगा जिन्हें बैंक ने संबंधित ट्रेड में पैनल में शामिल किया है।
25. ठेकेदार को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-संविदा में देरी या परियोजना के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और नियोक्ता इस बारे में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। नियोक्ता निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

26. सफल निविदा देने वाला काम पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई भी काम करने के लिए मजबूर है, भले ही वे आइटम मात्रा और दर में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त आइटम और उनकी मात्रा के बारे में इंस्ट्रक्शन का शेड्यूल बैंक के इंजीनियर द्वारा नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी से लिखकर जारी किया जाएगा।
27. सफल निविदा देने वाले को नियोक्ता द्वारा अपॉइंट किए गए दूसरे ठेकेदार के साथ को-ऑपदर करना होगा ताकि काम आसानी से हो सके, कम से कम देरी हो और बैंक के इंजीनियर को सैटिस्फैक्शन मिले।

28. ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि सारा काम बैंक के बनाए विनिर्देश, डिज़ाइन ड्रॉइंग्स के हिसाब से ही किया जाएगा और लोकल पब्लिक अथॉरिटीज़ और बैंक की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और किसी भी वजह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। काम की क्वालिटी, काम के विनिर्देश के हिसाब से बैंक को ठीक लगनी चाहिए। ठेकेदार को किसी भी खराब क्वालिटी के काम के लिए बैंक को भरपाई करनी होगी।
29. सफल निविदा देने वाले को काम के लिए ज़रूरी सारा सामान खुद ही लेना होगा। जहाँ तक सामान मिल सके, वह फर्स्ट/प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए जो ज़रूरी भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से हो।

30. सफल निविदा देने वाला ज़रूरी सामान, जिसके लिए आइटम में "बेसिक मूल्य" बताया गया है, बैंक द्वारा मंज़ूर और चुने गए मैन्युफैक्चरर से और बैंक द्वारा समय-समय पर मंज़ूर दर पर खरीदने के लिए मजबूर है।
31. **जहां भी मटीरियल का बेसिक दर बताया गया है, वहां ठेकेदार को चुनने के लिए मटीरियल के 3/4 सैंपल बनाने होंगे और चुने गए आइटम का परचेज़ दर ऐसा मटीरियल खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियर से अप्रूव करवाना होगा। मटेरियल की बेसिक कीमत, डीलर के एक्स-गोदाम मूल्य पर मटेरियल की लागत मानी जाएगी, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अगर निविदा में बताए गए बेसिक दर के साथ चुने गए मटेरियल की लागत में कोई अंतर है, तो ठेकेदार को भुगतान करते समय इस अंतर को एडजस्ट किया जाएगा। मटेरियल की कीमत में एडजस्टमेंट सिर्फ़ मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। इस अंतर पर ठेकेदार को 15% का प्रॉफ़िट मिलेगा। ठेकेदार को वेरिफ़िकेशन के लिए बैंक को सभी खरीदे गए मटेरियल के पेड बिल देने चाहिए ताकि खरीद का असली दर पता चल सके और मटेरियल की लागत में अंतर को सेटल किया जा सके ।**
32. निविदा देने वाले को ई-निविदा क्लॉज़ में दिए गए अप्रूव्ड ब्रांड और/या मैन्युफैक्चरर के मटीरियल की लिस्ट में बताए गए मेक/मैन्युफैक्चरर का मटीरियल इस्तेमाल करना होगा।
33. काम पूरा करने के लिए जगह के अंदर एक जगह पर बिजली और पानी मुफ़्त में दिया जाएगा। ठेकेदार को ज़रूरी जगहों पर बिजली और पानी पहुंचाने का इंतज़ाम खुद करना होगा। हालांकि, ठेकेदार को यह पक्का करना होगा कि बिजली और पानी की बेवजह बर्बादी न हो। किसी भी हादसे से बचने के लिए ठेकेदार को ज़रूरी सुरक्षा उपाय करने होंगे। अगर इस मामले में ठेकेदार की तरफ से कोई ढिलाई बरती जाती है, तो बैंक उस पर जुर्माना लगाएगा।
34. ठेकेदार को साथ में दिए गए सेफ्टी और फायर सेफ्टी कोड के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

35. निविदा में जहां भी IS कोड नंबर दिए गए हैं, वे निविदा खुलने की तारीख तक के लेटेस्ट वर्शन होंगे।

36. अगर सफल निविदा देने वाला संविदा की किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका पूरा प्रतिभूति जमाराशि ज़ब्त कर लिया जाएगा।
37. गलतियाँ, चूक और विवरण:-

    a) जनरल विनिर्देश में आइटम के डिस्क्रिप्शन और उसी आइटम के मात्रा शेड्यूल में दिए गए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के बीच, बाद वाले को अपनाया जाएगा।

    b) अगर आंकड़ों और शब्दों में बताए गए दर में अंतर हो, तो ओरिजिनल निविदा फॉर्म में आइटम की कुल रकम निकालने के लिए अपनाई गई दर को सही माना जाएगा। बाकी सभी मामलों में सही दर वह होगा जो कम होगा।

38. निविदा जमा करने के लिए जनरल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस, काम का स्कोप, विनिर्देश, डिज़ाइन और ड्रॉइंग्स या किसी और मामले के बारे में अगर कोई पुष्टिकरण चाहिए, तो वह निविदा जमा करने से पहले बैंक के वर्किंग आवर्स में बैंक से ले लिया जाएगा। एक बार निविदा जमा हो जाने के बाद, अगर ऐसा कोई ऑथेंटिक प्री-पुष्टिकरण नहीं है, तो निविदा की शर्तों के हिसाब से मामले पर फैसला किया जाएगा।
39. ठेकेदार को संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अलग-अलग नियमों के तहत बताई गई सभी ज़रूरतों को मानना और पूरा करना होगा। ठेकेदार को बैंक को यह बताना होगा कि एक दिन में काम पर कितने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाए जा सकते हैं। बाद में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, तो बिना देर किए बैंक को बताना होगा, अगर काम के लिए बीस या उससे ज़्यादा लेबर लगाए गए हैं, तो ठेकेदार

को रीजनल लेबर कमिश्नर से लाइसेंस लेना होगा। ठेकेदार को यह पक्का करना होगा कि उसके यहां काम पर रखे गए सभी लेबर/वर्कमैन स्टाफ को कम से कम मज़दूरी दी जाए और काम पर रखे गए लेबर का रिकॉर्ड रखना होगा।

40. ठेकेदार को यह पक्का करना चाहिए कि Covid-19 महामारी के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार, और बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का बैंक में तैनात काम करने वाले कर्मचारी पूरी तरह से पालन करें। कंटेनमेंट एरिया या क्वारंटाइन में रहने वाले काम करने वालों को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, आपको बैंक में तैनात स्टाफ पर कड़ी नज़र रखनी होगी और अगर कोई स्टाफ/स्टाफ का परिवार का सदस्य 'Covid' से संक्रमित पाया जाता है, तो स्टाफ को तुरंत बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टाफ को तैनात रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। आप उन्हें ज़रूरी ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह देंगे, जिसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा। इसके अलावा, आप ऊपर दिए गए अनुदेशों का पालन करने में अपनी नाकामी, गलती या लापरवाही से होने वाली किसी भी फाइनेंशियल/कानूनी देनदारी से बैंक को हर्जाना देंगे और हर्जाना देते रहेंगे। COVID-19 महामारी या किसी और वजह से काम में कोई रुकावट आने पर बैंक के इंजीनियर को बताया जाएगा ।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

तारीख :

प्राधिकृत सिग्नेटरी के हस्ताक्षर और सील।

जगह :

नाम और पता:

<u>अनुबंध की सामान्य शर्तें</u>

<u>इसके पहले बताई गई शर्तें</u>

1. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और संविदा करार को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

क) "नियोक्ता"	इसका मतलब होगा रीजनल डायरेक्टर, भारतीय रिज़र्व बैंक , तिरुवनंतपुरम और इसमें उनके असाइन्ड और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
ख) कंपनी के मामले में "ठेकेदार"	"ठेकेदार का मतलब ________ से होगा, जो 19__/20__ के तहत शामिल एक कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस ________ में है और इसमें उसके वारिस और असाइनी शामिल होंगे।
c) "बैंक इंजीनियर"	शैल का मतलब है वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता ने संविदा के मकसद से बैंक के इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए अपॉइंट किया है और शर्तों में उसका नाम ऐसा ही है। [AM (Tech)/ मैनेजर (Tech)/ AGM (Tech)]।
d) "साइट"	इसका मतलब संविदा के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनाया गया सामान और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो नियोक्ता ने ठेकेदार के इस्तेमाल के लिए दी है।
ई) "यह अनुबंध"	इसका मतलब होगा करार का आर्टिकल, खास शर्तें, शर्तें, अपेंडिक्स, मात्रा और विनिर्देश का शेड्यूल, इसके साथ अटैच और साइन किए हुए डिज़ाइन ड्रॉइंग।
च)"विनिर्देश"	इसका मतलब है संविदा में शामिल कामों की स्पेसिफिकेशन और उसमें कोई भी बदलाव या कुछ जोड़ना जो ठेकेदार ने किया हो या प्रस्तुत किया हो और इंजीनियर ने मंज़ूरी दी हो।
छ)"लिखित सूचना"	इसका मतलब है लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ या "लिखा हुआ नोटिस" जो (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो, वरना यह साबित हो गया हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से पता पाने वाले के आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते या रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा गया हो और उसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब आम तौर पर पोस्ट के ज़रिए उसे डिलीवर किया जाता।
h) "मात्रा का बिल"	इसका मतलब है निविदा का हिस्सा बनने वाले कीमत वाले और पूरे किए गए मात्रा के बिल
i)"निविदा"	इसका मतलब है ठेकेदार का नियोक्ता को संविदा के नियमों के अनुसार काम पूरा करने और उसमें किसी भी कमी को ठीक करने के लिए प्राइस्ड ऑफर, जैसा कि एक्सेप्टेंस लेटर में माना गया है।

इसका मतलब है निविदा को नियोक्ता द्वारा फॉर्मल एक्सेप्टेंस देना।

j) "स्वीकृति पत्र"

इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे ओरिजिनल एक्ट में बदलाव करने वाले किसी एक्ट के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट से होगा।

k) "दिवालियापन अधिनियम"

एल) "शुद्ध मूल्य" — अगर संविदा की रकम तय करने में ठेकेदार ने निविदा में मौजूद चीज़ों के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह परसेंटेज के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो उनके निविदा में किसी भी चीज़ की नेट कीमत, निविदा में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़ों में उसी तरह का परसेंटेज या उसी हिसाब से रकम जोड़कर या घटाकर तय की गई रकम होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का परसेंटेज या हिस्सा तय करते समय, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को निविदा की कुल रकम में से घटाया जाएगा। "नेट दर" या "नेट प्राइसेस" शब्द का इस्तेमाल संविदा या अकाउंट के बारे में करने पर, इसका मतलब इस तरह तय की गई दर या कीमतें ही माना जाएगा।

m) "काम" — मतलब होगा ' तिरुवनंतपुरम में बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर क्लेम सेक्शन का रेनोवेशन ' जैसा कि यहां प्रदान किया गया है

नोट: जिन शब्दों में व्यक्ति शामिल हैं, उनमें फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। जिन शब्दों में सिर्फ़ एकवचन शामिल है, उनमें बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की ज़रूरत हो, वहाँ बहुवचन भी शामिल है।

2. <u>संविदा **का दायरा**</u> : ठेकेदार इस संविदा के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों और उनकी संतुष्टि के हिसाब से हर तरह से काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

   a) किसी काम के डिज़ाइन, क्वालिटी या काम में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।
   b) ड्राइंग में या मात्रा के शेड्यूल और/या ड्राइंग और/या विनिर्देश के बीच कोई भी अंतर।
   c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।
   d) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
   e) वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।
   f) किसी भी छिपे हुए काम के निरीक्षण के लिए रास्ता खुलना।
   g) इसके क्लॉज़ 20 और 21 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

   ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के अनुदेशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो ठेकेदार को सात दिनों के अंदर लिखकर पुष्टि करना होगा, इन्हें संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

3. <u>नियोक्ता **से मंज़ूर किए जाने वाले बदलाव:**</u> ठेकेदार को एक परिवर्तन की विवरणी जमा करना होगा जिसमें मात्रा और दर दिए गए हों, और दर, वाउचर्स वगैरह के एनालिसिस से सपोर्टेड हों। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम

मंज़ूरी के बाद दर एक अनुपूरक निविदा बनेंगे। ड्राइंग्स के संबंध में काम करते समय साइट की स्थिति के अनुसार छोटे-मोटे बदलाव (कुछ सेंटीमीटर के) किए जा सकते हैं। नियोक्ता इन बदलावों के भुगतान के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक वह इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देता।

4. **ड्रॉइंग,** मात्रा **का शेड्यूल:** संविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार को अपने इस्तेमाल के लिए हर एक की एक कॉपी मिलेगी। ठेकेदार को इस पर साइन करने पर बैंक का इंजीनियर हर ड्रॉइंग (अगर कोई हो) और स्पेसिफिकेशन की एक कॉपी और काम के दौरान जारी की गई सभी आगे की ड्रॉइंग (अगर कोई हो) की एक कॉपी फ्री में देगा। ठेकेदार को ऐसी ड्रॉइंग की और कॉपी की ज़रूरत पड़ने पर उसका भुगतान करना होगा। ठेकेदार काम की सभी ड्रॉइंग की एक कॉपी अपने पास रखेगा और बैंक के इंजीनियर, या उसके प्रतिनिधि को हर सही समय पर वह मिल सकेगी। ठेकेदार को अंतिम प्रेमण पत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक के इंजीनियर को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस करने होंगे।
5. ठेकेदार **को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी:** ठेकेदार को ड्राइंग के मकसद और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें अपने खर्च पर देनी होंगी। मात्रा का शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन, साथ में यह भी कि उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया है या नहीं, बशर्ते कि उससे सही अंदाज़ा लगाया जा सके और अगर ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्रा के शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन/मात्रा के शेड्यूल के बीच, मात्रा का शेड्यूल ही लागू होगा।
6. **अथॉरिटी, नोटिस और पेटेंट** : ठेकेदार को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न और किसी भी अथॉरिटी, और किसी भी पानी, बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटी के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रपोज़ल है, और ड्रॉइंग (अगर कोई हो) या विनिर्देश में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने के लिए ज़रूरी हो, बैंक के इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने का कारण बताया जाएगा और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेगा। अगर ठेकेदार को दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं , तो वह संबंधित प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से क्लॉज़ 18 के तहत निपटा जाएगा। उसका.

   ठेकेदार को नियोक्ता को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने वाले एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत ज़रूरी हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को काम के संबंध में लगने वाली सभी शुल्क देनी होगी और रसीदें नियोक्ता के पास जमा करनी होंगी।

   संविदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को हर्जाना देगा और ऐसे दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा और खुद सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, डैमेज कॉस्ट और सभी तरह के चार्ज का भुगतान करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।
7. **काम शुरू करना** : ठेकेदार काम शुरू करेगा और उसे सही और सटीक तरीके से शुरू करने और उसके सभी हिस्सों की सही पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगा और काम शुरू करने से पहले मंज़ूरी लेगा। अगर ठेकेदार अपने काम में फेल हो जाता है, तो बैंक/नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कोई भी गलती/खामी उसके अपने खर्चे पर ठीक की जाएगी।
8. **मटेरियल और कारीगरी बताई गई जानकारी के मुताबिक होनी चाहिए** : सभी मटेरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, मात्रा के शेड्यूल और/या विनिर्देश में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट, रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटेरियल बताए गए तरीके के मुताबिक हैं। ठेकेदार अपने खर्च पर काम में इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी मटेरियल का टेस्ट, IS के नियमों के हिसाब से जानी-मानी लैब में करवाएगा और/या करवाएगा।
9. **काम पर** ठेकेदार **का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव** : ठेकेदार काम के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक का इंजीनियर ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी कार्मिक सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि" खत्म न हो जाए। ठेकेदार पूरे समय के दौरान एक काबिल, क्वालिफाइड और अनुभवी इंजीनियर को भी हायर करेगा, जो काम के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

10. **<u>काम करने वालों को निकालना</u>** : संविदार, बैंक के इंजीनियर के कहने पर, काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या जिसने खुद गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को कंसल्टेंट की इजाज़त के बिना काम पर दोबारा नहीं रखा जाएगा।

11. **<u>काम पर जाने की इजाज़त</u>** : नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को हर सही समय पर काम पर और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर जाने की आज़ादी होगी, जहाँ सामान रखा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है। ठेकेदार नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सामान और काम के निरीक्षण, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता या बैंक के इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. <u>सहायक प्रबंधक **(टेक.)/** प्रबंधक **(टेक.) :** "सहायक प्रबंधक **(टेक.)/**</u> प्रबंधक (टेक.)" शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता ने कामों का निरीक्षण करने के लिए अपॉइंट किया है और भुगतान किया है। ठेकेदार असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) को कामों और मटीरियल का निरीक्षण करने और समय और मटीरियल को चेक करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा।

    सहायक प्रबंधक (टेक.)/ प्रबंधक (टेक.), या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके सीपी को किसी काम या मटीरियल के अप्रूवल न मिलने का नोटिस देने का अधिकार होगा और ऐसा काम रोक दिया जाएगा, या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। काम की समय-समय पर असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी डिफेक्ट को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, जो काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाया जा सकता है। इस क्लॉज़ की लिमिट के तहत ठेकेदार सिर्फ़ बैंक के इंजीनियर से ही इंस्ट्रक्शन लेगा।

13. **<u>असाइनमेंट और सबलेटिंग</u>** : संविदा में शामिल पूरा काम ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और संविदार, नियोक्ता की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना संविदा या उसके किसी हिस्से या उसमें किसी हिस्से को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर, असाइन या अंडरलेट नहीं करेगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार संविदा की पूरी और संपूर्ण ज़िम्मेदारी से या काम के दौरान काम की एक्टिव निगरानी से आज़ाद हो जाएगा।

14. **<u>बदलाव, जोड़ना, हटाना वगैरह:</u>** कोई भी बदलाव, हटाना या फेरबदल इस संविदा को खराब नहीं करेगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता (बैंक के इंजीनियर के ज़रिए) काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव करने, जोड़ने या हटाने या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी में कोई बदलाव करने के लिए निर्देश/नोटिस दे और इसकी लिखित सूचना ठेकेदार को अपने हाथ से दे। ठेकेदार ऐसे नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलाव करेगा, जोड़ेगा या हटाएगा, लेकिन ठेकेदार कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा या काम में कोई बदलाव या जोड़ना या हटाना या संविदा के किसी भी नियम से कोई बदलाव नहीं करेगा। नियोक्ता की पहले से लिखकर मंज़ूरी लिए बिना शर्तों, विनिर्देश या संविदा ड्रॉइंग्स में कोई बदलाव, बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी और ऐसे अतिरिक्त बदलावों, बढ़ोतरी या कमी की कीमत, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा क्लॉज़ 18 के नियमों के अनुसार तय की जाएगी, और उसे संविदा अमाउंट में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
15. **<u>मात्राओं की अनुसूची</u>** : मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्रासंगिक आईएस कोड में निर्दिष्ट माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।
    जानकारी या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम का छूट जाना इस संविदा को खराब नहीं करेगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और उसकी कीमत, जैसा कि क्लॉज़ 17 के तहत पता लगाया गया है, संविदा अमाउंट में जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक करने की इजाज़त ठेकेदार के दर के शेड्यूल में नहीं दी जाएगी।
16. **<u>मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता</u>** : ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जिन दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसकी सभी बाध्यताओं और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल किया जाएगा।

17. **काम का माप** : बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को बता सकता है कि उसे काम का माप चाहिए, और ठेकेदार तुरंत आएगा या असिस्टेंट मैनेजर (टेक) की मदद के लिए एक काबिल एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी विवरण दी जा सकें या उनमें से किसी के लिए भी ज़रूरी सभी मदद दी जा सके।
अगर ठेकेदार काम पर नहीं आता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा मंज़ूर किए गए व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही काम का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप लेटेस्ट संबंधित IS Codes of practice में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय, ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।
बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के अनुसार किए गए सभी प्राधिकृत अतिरिक्त काम, कमियां और सभी बदलाव, जिनकी जानकारी बाद में लिखकर दी जाएगी (नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी लेकर), उन्हें ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किया जाएगा।

18. अतिरिक्त **वगैरह के लिए कीमतें पता लगाना** : संविदार, जब नियोक्ता से प्राधिकृत हो और जब नियोक्ता लिखकर कहे, तो ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या मात्रा के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, हटा सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, हटाएगा या उसमें बदलाव नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा दिया गया कोई ज़ुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वे सात दिनों के अंदर लिखकर पुष्टि करते हैं, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा। लेकिन, काम के असल में पूरा होने के दौरान अगर काम के किसी भी आइटम की मात्रा निविदा की मात्रा से 25% से ज़्यादा हो जाती है, तो परियोजना के आर्किटेक्ट की अथॉरिटी से और नियोक्ता की सहमति से निविदा की मात्रा के 25% से ज़्यादा किए गए ऐसे आइटम की मात्रा को काम का एक अतिरिक्त आइटम माना जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार को असल लागत के आधार पर किए गए दर एनालिसिस के साथ नए दर जमा करने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। काम के ऐसे सभी आइटम के दर, जो अभी के हैं, निविदा में दिए गए एस्केलेशन फ़ॉर्मूले के अनुसार, अगर कोई हो, तो मटीरियल और लेबर दर की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी के कारण मूल्य एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर नियोक्ता की मर्ज़ी से स्वीकृत किए गए निविदा से काम का कोई भी आइटम हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस वजह से किसी भी क्लेम का हकदार नहीं होगा।
किसी अतिरिक्त के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह क्लॉज़ 5 के प्रोविज़न के तहत यहाँ बताए गए नियोक्ता की सहमति से पूरा न किया गया हो। यहाँ बताए गए किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और वह नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

(a) (i) ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट दर या कीमत से अतिरिक्त काम की वैल्यू तय होगी, जहाँ ऐसा अतिरिक्त काम उसी तरह का हो और उसमें दिए गए काम जैसी शर्तों के तहत किया गया हो।
(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(b) ओरिजिनल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, बशर्ते अगर किसी चूक से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

(c) जहां अतिरिक्त काम पहले बताई गई शर्तों के हिसाब से एक जैसे नहीं हैं और/या एक जैसी शर्तों के तहत कोट नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर पूरे संविदा काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्रा के मूल्य शेड्यूल या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट दर या कीमत में ठेकेदार द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल है या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू नहीं होता है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी लेकर, ऐसी दूसरी दर या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

(d) जहां अतिरिक्त काम को ठीक से नापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहां ठेकेदार को निविदा या मूल्य शेड्यूल या मात्रा में बताए गए नेट दर के हिसाब से दिन के काम की कीमतें दी जाएंगी, या अगर ऐसा नहीं बताया गया है, तो जिले के लोकल दिन के काम की दरों और मज़दूरी के हिसाब से, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, रोज़ का समय (काम करने वालों के नाम) और इस्तेमाल किए गए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के अगले हफ़्ते के आखिर में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं। संविदा के बारे में मेज़रमेंट और वैल्यूएशन "फ़ाइनल मेज़रमेंट के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा।

(e) यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी प्राधिकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जिनके दर निविदा से नहीं निकाले जा सकते, ठेकेदार को दर जमा करने होंगे, जो CPWD के दर एनालिसिस के शेड्यूल के आधार पर तय किए गए दर एनालिसिस के सपोर्ट में होंगे या CPWD शेड्यूल में उपलब्ध नहीं आइटम के लिए, “एक्चुअल कॉस्ट बेसिस” के साथ मार्केट दर के आधार पर, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% देना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

19. <u>अनफिक्स्ड मटीरियल को</u> <u>नियोक्ता</u> **<u>की प्रॉपर्टी माना जाता है</u>**

जहां किसी प्रेमण पत्र में (जिसका ठेकेदार को भुगतान मिल गया है) बैंक के इंजीनियर ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान नियोक्ता की प्रॉपर्टी बन जाएगा और नियोक्ता की लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

20. **<u>गलत काम को हटाना</u>** : काम के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि वह ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी मटीरियल को हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देश के हिसाब से नहीं है, सही मटीरियल बदले, और ऐसे किसी भी काम को हटाकर ठीक से दोबारा करे जो ड्राइंग (अगर कोई हो) और विनिर्देश या अनुदेशों के हिसाब से नहीं है और ठेकेदार तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर ठेकेदार ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को काम पर रखने का अधिकार होगा; और इसके बाद होने वाले या उससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार उठाएगा, या नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

21. **<u>असल में काम पूरा होने के बाद कमियां</u>** : कोई भी कमी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी गलती जो अपेंडिक्स में बताए गए ''डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि'' के अंदर हो, या, अगर काम असल में पूरा होने के बारह महीने के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, जो नियोक्ता की राय में संविदा के हिसाब से काम न करने वाले मटीरियल से हुई हो, नियोक्ता के लिखकर दिए गए निर्देश पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, ठेकेदार अपने खर्च पर उसे ठीक करेगा और डिफॉल्ट होने पर नियोक्ता ऐसे कमियों, सिकुड़न जमाव या दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण होने वाले सभी नुकसान और खर्चे जो उससे जुड़े हैं, उन्हें नियोक्ता ठीक करेगा और वहन करेगा या बैंक के इंजीनियर के लिखकर दिए गए प्रेमण पत्र पर, ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से उतनी रकम काट सकता है, जितनी नियोक्ता तय करेगा। ऐसे काम को बदलने का खर्च और अगर क्लॉज़ 32 के तहत रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, वे भी वसूल किए जाएंगे। अगर क्लॉज़ 13 और 23 के तहत नॉमिनेटेड किसी सब-ठेकेदार ने कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो ठेकेदार उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि ऐसा काम या सामान ठेकेदार ने किया हो या सप्लाई किया हो और इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के नियमों के तहत हो । नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रेमण पत्र पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, ठेकेदार क्लॉज़ के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

22. **<u>वर्चुअल कम्प्लीशन का</u>** <u>प्रेमण पत्र</u> **<u>और डिफेक्ट्स लायबिलिटी</u>** <u>अवधि</u>**<u>:</u>** काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक बैंक का इंजीनियर लिखकर यह सर्टिफ़ाई न कर दे कि वे वर्चुअली पूरे हो गए हैं। डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि वर्चुअली कम्प्लीशन की तारीख से शुरू होगा।

23. **<u>मनोनीत उप-ठेकेदार</u>** : सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग जो किसी माल की आपूर्ति तथा मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्राओं और/या विअनुदेशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा मनोनीत या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां मनोनीत उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार को काम पर या उसके संबंध में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठेकेदार के खिलाफ कोई सही आपत्ति नहीं होगी (सिवाय इसके कि आर्किटेक्ट और ठेकेदार किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा।

(a) नॉमिनेटेड सब-संविदार, सब-संविदा के संबंध में ठेकेदार को उसी ज़िम्मेदारी से हर्जाना देगा, जो ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।

(b) नॉमिनेटेड सब-संविदार, सब-संविदार, उसके नौकरों या एजेंटों की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, ठेकेदार की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ ठेकेदार को हर्जाना देगा।

(c) नियोक्ता का प्रेमण पत्र मिलने के चौदह दिनों के अंदर नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कोई भी प्रेमण पत्र जारी होने से पहले संविदार, अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रूफ देगा कि पिछले प्रेमण पत्र में शामिल सभी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार के अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हैं; ऐसा न करने पर, नियोक्ता बैंक के प्रेमण पत्र पर भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से नियोक्ता और सब-ठेकेदार के बीच कोई प्राइवेट संविदा नहीं बनेगा।

24. <u>नियोक्ता **द्वारा काम पर रखे गए दूसरे लोग**</u> : नियोक्ता के पास यह अधिकार है कि वह इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए जगह और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे वह दूसरे लोगों से करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन नियोक्ता के साथ खास इंतज़ाम के अलावा ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

25. **<u>लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस</u>** : संविदार, लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी किसी भी चोट या नुकसान और प्रॉपर्टी को हुए सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो ठेकेदार या किसी सब-ठेकेदार या किसी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की तरफ से किसी भी गलती से हो सकता है। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, स्ट्रक्चर को हुए किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वह काम के ठीक पास हो या कहीं और; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस संविदा का विषय बनने वाली बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाला या मौसम की दूसरी खराबियों की वजह से इस संविदा का विषय बनने वाली बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा तथा क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति अथवा संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी तथा किसी भी हानि और व्यय के संबंध में उसे क्षतिपूर्ति नहीं देगा तथा साथ ही चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत हो या अन्यथा तथा ऐसे दावों के परिणामस्वरूप दिए गए किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या नुकसान के संबंध में भी उसे क्षतिपूर्ति नहीं देगा। ठेकेदार अपने खर्च पर, इस संविदा के तहत वर्चुअल कंप्लीशन प्रेमण पत्र जारी होने तक, नियोक्ता द्वारा अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ, संविदा की पूरी रकम के लिए नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम पर एक **ऑल रिस्क** इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) ठेकेदार के लिए ऑल रिस्क पॉलिसी के तहत और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा।

संविदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं। और अपने खर्च पर, संविदा के लगभग पूरा होने तक, नियोक्ता द्वारा मंज़ूर की गई इंश्योरेंस कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार (पॉलिसी में पहले ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की कम से कम लिमिट किसी एक एक्सीडेंट या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक एक्सीडेंट या घटना के लिए प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये होगी, जिसकी कुल लिमिट 10 लाख रुपये होगी। संविदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से भी बचाएगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे **वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत हों** या किसी दूसरे लागू कानून के तहत, इस संविदा के चलने के दौरान या कॉमन लॉ के तहत ठेकेदार या सब-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में हों। और संविदा के लगभग पूरा होने तक या नियोक्ता द्वारा मंज़ूर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अपने **खर्च** पर ऐसे जोखिमों के खिलाफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाए रखेगा और बनाए रखेगा, और इस संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

अगर ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा इंश्योरेंस कर सकता है और दिए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

ठेकेदार किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस संविदा को ठीक से पूरा न करने पर हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो।

ठेकेदार, कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों के खिलाफ और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

ऐसी गलती के मामले में ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े की लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज़ के तहत ठेकेदार को देने हैं।

इस क्लॉज़ के तहत ली गई पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट होने पर, ठेकेदार पूरी सावधानी से नष्ट या खराब हुए काम को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसे में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिले सभी पैसे ठेकेदार को दिए जाएंगे और ठेकेदार नष्ट या खराब हुए सामान को फिर से बनाने या रिपेयर करने में हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए बैंक के इंजीनियर की सलाह के अनुसार समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए नियोक्ता से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, ठेकेदार सभी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार से काम के अपने-अपने हिस्से के लिए, इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसी बनाएगा या बनवाएगा। ठेकेदार किसी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दी जाए । अगर सब-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाता है, तो ठेकेदार उस सब-ठेकेदार से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

ठेकेदार अपने खर्च पर, एक मंज़ूर ऑफिस से, **नियोक्ता** और खुद के जॉइंट नाम पर नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू करने और मेंटेन करने का इंतज़ाम करेगा (जब तक कि **संविदा** लगभग पूरा न हो जाए), जिसमें **नियोक्ता** पहले (प्रिंसिपल) होगा और इस **संविदा** के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को **नियोक्ता** के पास जमा करेगा।

a) **वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। b) CAR पॉलिसी c) थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी**

26. **<u>काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख</u>** : ठेकेदार को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तारीख" पर या नियोक्ता द्वारा बताई गई हर बाद की तारीख पर साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत

बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे पूरा करेगा (पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर, जिसमें बैंक देरी करना चाहे) या अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" से पहले, लेकिन बाद में समय बढ़ाने के नियमों के तहत।

27. **<u>पूरा न होने पर लिक्विडेटेड डैमेज</u>** : अगर ठेकेदार अपेंडिक्स में बताई गई तारीख तक या क्लॉज़ 28 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को अपेंडिक्स में बताई गई रकम "लिक्विडेटेड डैमेज" के तौर पर उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की रकम काट सकता है।

28. **<u>देरी और समय का विस्तार</u>** : यदि नियोक्ता की राय में काम में देरी होती है (a) अपरिहार्य कारण से या (b) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या c) ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (d) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या कारीगरों के काम या देरी के कारण और मात्राओं और/या विअनुदेशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (e) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (f) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी निर्माण व्यापार को प्रभावित करता है या (g) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित में आवेदन किया होगा या (h) अन्य कारणों से जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है और काम पूरा करने के लिए सही समय बढ़ाने की जानकारी बैंक को जल्द से जल्द लिखकर दी जाएगी, लेकिन फिर भी ठेकेदार देरी रोकने की लगातार कोशिश करेगा और काम आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो। देरी फ़ोर्स मेज्योर की वजह से हुई है या नहीं, यह बैंक का फ़ैसला आख़िरी होगा और ठेकेदार को मानना होगा।

29. <u>ठेकेदार **का** नियोक्ता **के निर्देश न मानना**</u> : अगर नियोक्ता से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें 10 दिनों के अंदर पालन करने की ज़रूरत है, ठेकेदार आगे की ड्रॉइंग और/या बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च नियोक्ता ठेकेदार से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

30. <u>नियोक्ता **द्वारा** संविदा **खत्म करना**</u> : अगर संविदार, जो एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का काम" करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह एक इनकॉरपोरेटेड कंपनी है, तो उसके खिलाफ कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा या वह अपनी मर्ज़ी से या कोर्ट की देखरेख में वाइंडिंग अप के लिए एक असरदार प्रस्ताव पास करेगा और ऐसे दिवालियापन या वाइंडिंग अप के कामों में, जैसा भी मामला हो, ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर, उसे नोटिस देने के सात दिनों के अंदर यह नहीं कर पाएगा कि वह नियोक्ता को यह दिखाने के लिए कहे कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और अगर नियोक्ता ऐसा चाहता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी दे।

या अगर संविदार, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पहली कंपनी हो या कंपनी, उसके खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रक्रिया किया जाएगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने दिया जाएगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सबलेट पर दे देगा, जो पहले ली और ली गई थी।

या इस संविदा या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर चार्ज या बोझ नहीं डालेगा।

या अगर बैंक का इंजीनियर लिखकर सर्टिफ़ाई करे कि संविदार,

(i) संविदा छोड़ दिया है, या
(ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या इन हालात में बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से नोटिस मिलने के बाद चौदह दिनों के लिए काम रोक दिया है, या
(iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
(iv) बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद कि उक्त सामग्री या काम को बैंक के इंजीनियर ने इन शर्तों के तहत खारिज कर दिया है, सात दिनों तक साइट से सामान हटाने या काम को गिराने और बदलने में नाकाम रहा है' या
(v) संविदा के तहत बताए गए किसी भी काम, बात या चीज़ को सात दिनों तक लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है या लगातार नहीं किया गया है, जब तक ठेकेदार को लिखकर नोटिस नहीं दिया गया होगा कि वह उनका पालन करे या उन्हें पूरा करे।

फिर और ऐसे किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदा तय कर सकता है, जो पूरा वैसा ही लागू रहेगा जैसे कि संविदा तय नहीं किया गया हो, और अगर बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए हों। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर काम और सभी प्लांट, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, स्टीम और दूसरे पावर के बर्तन और परिसर या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए काम पर रखने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक ठेकेदार को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर ठेकेदार नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और ठेकेदार को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि इस तरह लिए गए प्लांट और सामान में से कितना नियोक्ता के कब्ज़े में है और काम पूरा करने में नियोक्ता को क्या खर्च या नुकसान हुआ है और अगर कोई रकम ठेकेदार पर बकाया है और जो रकम इस तरह सर्टिफ़ाई की जाएगी, वह नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी हो, दी जाएगी, और बैंक का सर्टिफ़िकेट पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

31. <u>ठेकेदार **द्वारा** संविदा **खत्म करना**</u> : अगर बैंक के इंजीनियर के प्रेमण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम का यह भुगतान, ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया और बिना भुगतान के रहता है, या अगर नियोक्ता ऐसे किसी प्रेमण पत्र को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है, या अगर नियोक्ता संविदा को नामंजूर कर देता है, या अगर आर्किटेक्ट या नियोक्ता के आदेश से या किसी कोर्ट के आदेश या किसी और आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, ठेकेदार को नियोक्ता को लिखित नोटिस देकर संविदा खत्म करने की आज़ादी होगी, और वह नियोक्ता से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद के लिए सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या मटीरियल से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की रकम तय करने में ठेकेदार के ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट दर को फॉलो किया जाएगा या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 18 के अनुसार किया जाएगा ।

32. <u>प्रेमण पत्र **और** भुगतान</u> :

a. ठेकेदार को नियोक्ता समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को जारी किए जाने वाले इंटरिम प्रेमण पत्र के तहत किश्तों में भुगतान करेगा। यह भुगतान उन कामों के लिए किया जाएगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में, इस संविदा के अनुसार अपेंडिक्स में 'इंटरिम प्रेमण पत्र के लिए काम की वैल्यू' (या बैंक के इंजीनियर की समझदारी से कम) के तौर पर बताई गई लगभग कीमत के बराबर काम किया गया है, हालांकि, इस शर्त पर कि अपेंडिक्स में 'इंटरिम प्रेमण पत्र के लिए रिटेंशन परसेंटेज' के तौर पर बताई गई कीमत का परसेंटेज तब तक रखा जाएगा जब तक कि रखी गई कुल रकम अपेंडिक्स में 'टोटल "रिटेंशन मनी' के तौर पर बताई गई रकम तक नहीं पहुंच जाती, जिसके बाद किश्तें बाद में किए गए और बिल्डिंग में लगाए गए काम की पूरी कीमत तक होंगी। बैंक का इंजीनियर अपनी समझ से इंटरिम प्रेमण पत्र में वह रकम शामिल कर सकता है, जिसे वह काम में इस्तेमाल के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर डिलीवर किए गए मटीरियल के लिए सही समझे। और जब काम लगभग पूरा हो गया हो और बैंक के इंजीनियर ने लिखकर सर्टिफ़ाई कर दिया हो कि वे पूरा हो जाने पर, ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेमण पत्र के अनुसार, अपेंडिक्स में 'वर्चुअल कंप्लीशन के बाद किस्त' के रूप में बताई गई रकम का भुगतान किया जाएगा, जो उस टोटल रिटेंशन मनी का एक हिस्सा होगा। और संविदार, वर्चुअल कंप्लीशन की तारीख से अपेंडिक्स में 'डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि' के रूप में बताई गई अवधि के खत्म होने पर या उस अवधि के खत्म होने के तुरंत बाद, जब काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और सभी डिफेक्ट इसके असली इरादे और मतलब के अनुसार ठीक हो जाएंगे, जो भी बाद में हो, बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रेमण पत्र के अनुसार अंतिम बैलेंस के भुगतान का हकदार होगा। बशर्ते कि काम के चलने के दौरान या उनके पूरा होने पर या उसके बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा कोई भी प्रेमण पत्र जारी करने से ठेकेदार को क्लॉज 2 और 21 के तहत उसकी लायबिलिटी से राहत नहीं मिलेगी, काम या मटीरियल से संबंधित फ्रॉड, बेईमानी, या फ्रॉड से छिपाने के मामलों में या प्रेमण पत्र में बताए गए किसी भी मामले में, और सभी डिफेक्ट और काम या सामान में ऐसी कमियां जो ठीक से जांच करने पर पता नहीं चलतीं। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रेमण पत्र अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही ठेकेदार का उन पैसों पर कोई दावा होगा जिन्हें बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और नियोक्ता ने चुकाया हो, और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं हैं। इस मामले में नियोक्ता का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

b. अगर काम या उसका कोई हिस्सा उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक के इंजीनियर के पास कोई भी प्रेमण पत्र रोकने का अधिकार होगा।

c. बैंक का इंजीनियर उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रेमण पत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

d. अगर ठेकेदार काम का इंश्योरेंस नहीं कराता है और वर्चुअल कंप्लीशन प्रेमण पत्र जारी होने तक उसे इंश्योरेंस नहीं रखता है, तो बैंक का इंजीनियर भुगतान का कोई प्रेमण पत्र जारी नहीं करेगा।

e. बैंक के इंजीनियर प्रेमण पत्र पर भुगतान, अपेंडिक्स में 'प्रेमण पत्र के ऑनर के लिए समय' के तौर पर बताए गए समय के अंदर किया जाएगा, जब ऐसे प्रेमण पत्र नियोक्ता को डिलीवर कर दिए गए हों।

भुगतान की ये शर्तें सिर्फ़ काम के लिए लागू हैं ।

ठेकेदार के किए गए काम की कीमत का भुगतान, काम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, बैंक के इंजीनियर के दिए गए प्रेमण पत्र के आधार पर बैंक करेगा। ऑन अकाउंट बिल नीचे दिए गए तरीके से बनाए जाएंगे। हर आइटम के हिसाब से डिटेल में माप लिया जाएगा और बताए गए दर पर काम का खास आइटम पूरा होने पर भुगतान किया जाएगा। <u>सभी भुगतान पर, कानून के मुताबिक, रिटेंशन मनी और स्रोत पर कर कटौती के तौर पर 5% की रिकवरी होगी।</u> ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि रनिंग बिल के भुगतान के लिए किए गए काम की अंतरिम कीमत **10 लाख रुपये है।**

33. <u>**देरी से** भुगतान</u> : अगर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली कोई भी रकम अपेंडिक्स में बताए गए 'सर्टिफ़िकेट जारी करने के समय' के अंदर नहीं दी जाती है, तो उस पर अपेंडिक्स में बताई गई "देरी से भुगतान के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा, उस तारीख से जब नियोक्ता द्वारा रकम दी जानी थी, और भुगतान होने तक, बशर्ते ठेकेदार सभी ज़रूरी जानकारी/क्लैरिफ़िकेशन दे।

34. **<u>बैंक द्वारा आखिरी में तय किए जाने वाले मामले:</u>** क्लॉज़ 2, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 (a, b, c, d, e, f) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में फ़ैसला, राय, निर्देश सर्टिफ़िकेट (भुगतान को छोड़कर) (जिन मामलों को यहां एक्सपेक्टेड मामले कहा गया है) फ़ाइनल और पक्का होगा और पार्टियों पर लागू होगा और इसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होगी। कोई भी दूसरा फ़ैसला, राय, निर्देश, क्लॉज़ 35 के तहत विवाचन और रिव्यू के अधिकार के अधीन होगा, ठीक वैसे ही जैसे सभी मामलों में (रेफ़रेंस खोलने के प्रोविज़न सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का फ़ैसला हो।

35. <u>विवाचन **से झगड़ों का निपटारा** </u>: संविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और संविदा छोड़ने या तोड़ने के तय होने से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उनका निपटारा करेगा। बैंक अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला अंतिम प्रेमण पत्र या किसी और रूप में हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा और पिछले क्लॉज में बताए अनुसार उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर ठेकेदार किसी भी मामले से खुश नहीं है, तो वह ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि विवादित मामलों पर विवाचन किया जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टी सहमत हैं, तो इस काम के लिए एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। अगर सिंगल आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट पर कोई करार नहीं हो पाता है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर या अंपायर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रेमण पत्र, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें विवाचन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बढ़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर विवाचन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपसी सहमति से अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या समझौते का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या समझौते के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच **कर** लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि वह रकम किसके द्वारा, किसे और किस तरह से वहन की जाएगी और चुकाई जाएगी।

यह सबमिशन इंडियन **विवाचन** एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के तहत **विवाचन** के लिए सबमिशन माना जाएगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह सहमति हुई है कि **ठेकेदार विवाचन** के लिए भेजे गए किसी भी ऐसे मामले, सवाल या विवाद की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, **ठेकेदार** को काम को असल में करने के संबंध में बैंक के **अनुदेशों** का सख्ती से पालन करने की उसकी जिम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। **नियोक्ता** और **ठेकेदार** इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज के तहत **विवाचन संविदा** के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पहले की शर्त होगी।

36. <u>अंतिम **बिल की टेक्निकल जांच का अधिकार:**</u> नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह नियोक्ता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन से काम की टेक्निकल जांच करवाए और ठेकेदार के अंतिम बिल की भी जांच करवाए,

जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हैं। अगर इस जांच के नतीजे में या किसी और वजह से यह पाया जाता है कि कोई रकम ज़्यादा दी गई है या ज़्यादा सर्टिफाइड की गई है, तो नियोक्ता के लिए यह कानूनी होगा कि वह इस काम या ठेकेदार द्वारा कहीं और भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत किए जा रहे किसी भी दूसरे काम के लिए ठेकेदार को दिए गए किसी भी भुगतान से वह रकम वसूल करे।

37. **<u>नियोक्ता कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है:</u>** अगर किसी भी वजह से, नियोक्ता, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियमों, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो नियोक्ता को ठेकेदार से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इससे उस एक्ट के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को प्रतिभूति जमाराशि या उसकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी रकम में से ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा काटकर वसूलने की आज़ादी होगी। नियोक्ता उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखकर अनुरोध करने और नियोक्ता को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।
38. **<u>काम छोड़ना:</u>** अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता किसी भी वजह से पूरा काम या उसका कोई हिस्सा नहीं करवाना चाहता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और तरह के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।
39. **<u>अधिशेष सामग्री की वापसी:</u>** इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित विपरीत किसी भी चीज के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत खरीद के द्वारा नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और पूरी तरह अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर इसे नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत जीएसटी और ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में भुगतान की गई अन्य ऐसी शुल्क सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट और/या विश्वासघात के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके लिए सामान्य तौर पर हुए हों या होते।

40. **<u>नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज:</u>** ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ठेकेदार संविदा की विवरण को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।
किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

41. <u>**अगर** ठेकेदार **की मौत हो जाती है, तो** नियोक्ता **का** संविदा **खत्म करने का अधिकार:**</u> इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदार, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती

है, तो नियोक्ता के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी मौत के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

(i) ठेकेदार को संविदा लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बताई गई सभी ज़रूरतों को मानना होगा और उन्हें पूरा करना होगा।

(ii) ठेकेदार को यह पक्का करना चाहिए कि उसके यहां काम करने वाले सभी मज़दूरों/कर्मचारियों को मिनिमम वेज का भुगतान हो। ठेकेदार को एक प्रेमण पत्र देना होगा कि उसने दिए गए काम/काम/परियोजना को पूरा करने के लिए अपने यहां काम करने वाले सभी तरह के मज़दूरों का सारा बकाया असल में मिनिमम वेज एक्ट, 1948 के तहत तय दर से कम नहीं चुकाया है और उसने संविदा मज़दूरों को ज़रूरी सुविधाएं देने के लिए CLRA एक्ट के नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, वह बैंक के प्रतिनिधि को वेरिफ़ाई करने में मदद कर सकता है और ऐसे प्रेमण पत्र की सच्चाई को सर्टिफ़ाई करें।

42. **<u>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न</u>**

1. a) संविदार/एजेंसी "काम की जगह पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, संविदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

   b) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट कमेटी ध्यान देगी।

   c) अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देनी होगी, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी आर्थिक मदद।
   d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

   e) ठेकेदार को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

तारीख :	प्राधिकृत सिग्नेटरी के हस्ताक्षर और सील।
जगह :	नाम और पता:

<u>**अनुबंध की विशेष शर्तें**</u>

1. निविदा देने वाले कृपया ध्यान दें कि यह काम नॉर्मल वर्किंग आवर्स में **बैंक के ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी एरिया में किया जाएगा** , ताकि बैंक के रेगुलर काम में कम से कम दिक्कत हो। इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाएगी और बैंक के इंजीनियर्स से सलाह करके काम का सही क्रम तय किया जाएगा। काम तय समय में पूरा करना होगा और किसी भी हालत में देर से काम करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
2. काम के लिए सारा सामान सिर्फ़ सीढ़ियों से ही काम करने की जगह पर लाया जाएगा।
3. सभी मटीरियल IS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फर्स्ट/प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए।
4. निविदा देने वाला सिर्फ़ अप्रूव्ड मटीरियल का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि मात्रा के शेड्यूल/मटेरियल की अप्रूव्ड लिस्ट में खास तौर पर बताया गया है। बैंक को लिस्ट में अप्रूव्ड ब्रांड नामों में से कोई भी ब्रांड का मटीरियल चुनने की आज़ादी होगी । किसी भी काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के सैंपल को बल्क में खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि से अप्रूव करवाना होगा।
5. जहां भी ठेकेदार बराबर मेक (यानी बताए गए मेक के अलावा) इस्तेमाल करने का प्रपोज़ल रखता है, तो ऐसा बैंक के इंजीनियर से पहले से मंज़ूरी लेने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च और समय पूरी तरह से ठेकेदार की तरफ़ से होगा और इस बारे में किसी भी तरह के क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. साइट पर लाए गए सामान की क्वालिटी की जांच और मात्रा मापने के लिए बैंक के इंजीनियर को तुरंत बताया जाएगा।
7. ठेकेदार को काम शुरू होने से पहले बैंक को एक ठीक से प्लान किया हुआ और तैयार किया हुआ वर्क प्रोग्राम जमा करना होगा ताकि बैंक दूसरी एजेंसियों को आसानी से काम करने, प्रोग्रेस और कोऑर्डिनेशन के लिए पहले से बता सके और वर्क प्रोग्राम में दिए गए टाइम शेड्यूल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

8. निविदा में बताए गए काम पूरा होने के नौ हफ़्ते के समय में मानसून का समय और संविदा अवधि में आने वाले रविवार/शनिवार समेत छुट्टियां शामिल हैं। ठेकेदार छुट्टियों में अपने रिस्क और खर्च पर काम करने के लिए कानूनी ज़रूरतों का पालन करेंगे और इससे जुड़े किसी भी रिस्क के लिए बैंकों को हर्जाना देंगे।
9. ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को बैंक के इंजीनियर के कहने पर और ज़रूरत के हिसाब से बार-बार साफ़ किया जाएगा। साथ ही, ऊपर बताए गए रेनोवेशन में मज़दूरों द्वारा इस्तेमाल की गई सीढ़ियों, रास्तों समेत पूरी जगह को रोज़ाना साफ़/साफ़ किया जाएगा, ताकि बैंक के इंजीनियर संतुष्ट हो सकें। इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। पूरा मलबा/बेकार सामान बैंक की जगह से बाहर ले जाया जाएगा और उसे बैंक की जगह के अंदर या आस-पास कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए। अगर लोकल कॉर्पोरेशन को कोई मलबा दिखता है और पेनल्टी लगती है, तो इसके लिए पूरी तरह से ठेकेदार ज़िम्मेदार होंगे।
10. काम के घंटों के बाद किसी भी मज़दूर को कैंपस के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।
11. जहां भी मज़दूरों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा हो, वहां ठेकेदार के पास लेबर कमिश्नर से वैलिड लेबर लाइसेंस होना चाहिए।
12. ठेकेदार जो दर बताएगा, उसमें जीएसटी शामिल होगा। बताए गए दर में सभी कर और लेवी शामिल होंगे। हालांकि, काम का बिल/इनवॉइस जमा करते समय ठेकेदार को काम की कीमत में शामिल जीएसटी के अलग-अलग हिस्सों को साफ-साफ बताना होगा।
13. ठेकेदार के पास उस काम के लिए रखे गए अपने काम करने वालों के पते और फ़ोटो होने चाहिए। काम करने वालों को बिल्डिंग के अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब वे बैंक से जारी फ़ोटो पास दिखाएंगे और उन्हें बैंक की लगाई गई सिक्योरिटी पाबंदियों का भी पालन करना होगा।
14. दर बताने से पहले, ठेकेदार को साइट देख लेनी चाहिए और काम के नेचर और स्कोप के बारे में खुद समझ लेना चाहिए।
15. बैंक की किसी भी प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।
16. ठेकेदार को काम पूरी तरह से बैंक के इंजीनियर के स्पेसिफिकेशन विवरण और अनुदेशों के अनुसार करना होगा।
17. ठेकेदार को साइट पर अपना सामान रखने का इंतज़ाम खुद करना होगा।
18. कोट किए गए दर में बैंक इंजीनियर्स के बताए अनुसार मटीरियल की सभी ज़रूरी टेस्टिंग शामिल होनी चाहिए।
19. ठेकेदार को काम के रोज़ाना सुपरविज़न के लिए एक क्वालिफाइड साइट इंजीनियर रखना चाहिए ।
20. सफल निविदा पाने वाले को अपने सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी ज़िम्मेदारी होगी और काम की जगह, जिसमें उनका काम का हिस्सा भी शामिल है, में हर समय आग से बचाव के कदम उठाने होंगे।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

तारीख :

प्राधिकृत सिग्नेटरी के हस्ताक्षर और सील।

जगह :

नाम और पता:

सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखे जाएंगे।

2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।

3. उन सभी कामों के लिए जो ज़मीन/फर्श से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, काम करने वालों के लिए सही और मजबूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

5. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके से फ़ेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

6. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य हिस्से पर मलबा या सामग्री इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

7. सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।

8. (i) सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।

(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए, जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सीसा पेंट वाली सतह को सूखा रगड़ा और खुरच दिया जाता है।

9. पेंटर्स को ओवरऑल्स ठेकेदार द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के दौरान काम करने वाले पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

10. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होंगे।

11. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की, काफ़ी मज़बूत और बिना किसी खराबी वाली होनी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किए जाने चाहिए।

2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3-पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।

4. सभी बिजली के उपकरण, जैसे ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह, काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और मज़बूती से अर्थ किए जाएंगे।

5. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली जगह पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।

6. बताए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।

7. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाएगा।

, ठेकेदार काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए कार्मिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।

9. सेफ्टी बेल्ट ठेकेदार देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

10. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा जमा करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

11. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/जगह से हटाया नहीं जाएगा।

12. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

13. काम से निकलने वाले लकड़ी के बुरादे और बुरादे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

14. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

15. ऑफिस टाइम के बाद काम करते समय ठेकेदार को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

स्थान: निविदा देने वाले के हस्ताक्षर:
दिनांक: नाम और पता:

<u>इसमें पूर्व उल्लिखित परिशिष्ट</u>

1	दोष देयता अवधि (डीएलपी)	वर्चुअल कंप्लीशन प्रेमण पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	वर्चुअल पूरा होने की तारीख से 1 महीना।
3	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	अनुबंध मूल्य का 5%
4	पीबीजी की रिहाई	काम सफलतापूर्वक पूरा होने पर।
5	प्रारंभण की तिथि	वर्क ऑर्डर जारी होने के 10 वें दिन।
6	पूरा होने की तारीख	वर्क ऑर्डर जारी होने के दसवें दिन से नौ हफ़्ते
7	लिक्विडेटेड डैमेज की दर (LD)	देरी के हर हफ़्ते के लिए संविदा वैल्यू का 0.25%, जो कुल मंज़ूर संविदा वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
8	अंतरिम प्रेमण पत्र के लिए काम की वैल्यू	10 लाख
9	अवधारण प्रतिशत (आरएमडी)	5%
10	आरएमडी की रिहाई	डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूरा होने पर।
11	अंतरिम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि	15 दिन (सभी तरह से सही बिल दिखाने पर)
12	अंतिम प्रमाणपत्र का सम्मान करने की अवधि	30 दिन (सभी तरह से सही बिल दिखाने पर)
13	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

तारीख : प्राधिकृत सिग्नेटरी के हस्ताक्षर और सील।
जगह : नाम और पता:

अप्रूव्ड मेक / मटीरियल के मैन्युफैक्चरर की लिस्ट।

1.	सीमेंट	ACC, मालाबार, कोरामंडल, रामको, शंकर, अंबुजा या इसके बराबर की मंज़ूर कंपनियाँ।
2.	सफेद सीमेंट	बिरला व्हाइट, जेके व्हाइट या स्वीकृत समकक्ष
3.	एल्यूमीनियम अनुभाग	जिंदल, हिंडाल्को या अनुमोदित समकक्ष
4	पीयू फ़्लोरिंग	मेसर्स फोसरोक से नाइटोफ्लोर SL 3000 UT या मेसर्स मास्टर बिल्डर्स से यूक्रेट MF
5.	विट्रिफाइड टाइल्स/सिरेमिक टाइल्स	जॉनसन, कजारिया, RAK, सोमानी, निटको, बेल, सिम्पोलो या इसके बराबर की मंज़ूर कंपनियाँ
6.	टाइल ग्राउट्स / जॉइंटिंग कंपाउंड्स	बाल एंडुरा सिल्वर स्टार प्लस, MYK लेटक्रीट 315 या इसके बराबर की मंज़ूर दवा
7.	जिप्सम झूठी छत	मेसर्स जिप्रोक इंडिया लिमिटेड – जिप स्टील अल्ट्रा/ जिप्सेरा-सेक्शन
8	धातु की झूठी छत	मेसर्स जिप्रोक या मेसर्स आर्मस्ट्रांग
9.	समुद्री प्लाईवुड (BWP ग्रेड)	ग्रीन प्लाई, एंकर, किटप्लाई, सेंचुरी
10.	टुकड़े टुकड़े में	मेरिनो, ग्रीनलैम, रॉयल टच
11।	काँच	साईं गोबेन, मोदी या स्वीकृत समकक्ष
12	एसएस फिटिंग	हेटिच या स्वीकृत समकक्ष
13	पेंट	एशियन, आईसीआई डुलक्स, एमआरएफ, बर्जर, शालीमार, नेरोलैक,
14	पुट्टी	बिरला व्हाइट, JK, शालीमार पेंट्स लिमिटेड की गोल्डसाइज़ पुट्टी या मंज़ूर बराबर।

a) ठेकेदार को काम में इस्तेमाल करने से पहले, बैंक की मंज़ूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, 2-3 तरह के सैंपल बनाने होंगे।

b) बैंक से मंज़ूर सामान का इस्तेमाल सिर्फ़ बेसिक दर आइटम के लिए PC दर की मंज़ूरी सहित काम में किया जाएगा।

दिनांक: निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर: स्थान:

मात्राओं की संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकित अनुसूची

मद संख्या	विवरण	मात्रा	इकाई
1	**विखंडन कार्य**		
	ईंट की दीवार/पार्टीशन की दीवारें/टाइल फ़्लोरिंग/टाइल डैडो/दरवाज़े/MS खिड़कियां वगैरह हटाना: क्लेम सेक्शन के अंदर और पास के खाली कमरे से नीचे दी गई चीज़ों को ध्यान से खोलकर/अलग करके हटा दें। बैंक के इंजीनियर के बताए तरीकों से और बताए गए तरीके से। बताई गई चीज़ों को लगभग डाइमेंशन/मात्रा के साथ इस तरह खोलना है। क) लगभग समग्र आकार के चौखट के साथ लकड़ी के दरवाजे, 1500 मिमी x 2100 मिमी - 1 संख्या, 1000 मिमी x 2100 मिमी - 2 संख्या। इन दरवाजों को पुनः उपयोग के लिए एक के ऊपर एक रखा जाएगा। बी) 1300 मिमी x 2100 मिमी आकार का एमएस शीट पैनल वाला दरवाजा - 1 संख्या। c) 115mm मोटी ईंट की पार्टीशन दीवार, दोनों तरफ प्लास्टर, RCC लिंटेल वगैरह, लगभग कुल माप, 5500mm x 3150mm - 2 (दो दरवाज़े छोड़कर), दीवार का साइज़ 2050mm x 3600mm - 1, और 1200mm x 2100mm - 1 d) 230 मिमी मोटी ईंट की दीवार, जिसमें 1500 मिमी x 2250 मिमी आकार का उद्‌घाटन करने के लिए प्लास्टरिंग शामिल है - 2 संख्याएँ। e) एल्युमिनियम/लकड़ी के पार्टीशन, जिसमें दरवाज़ा भी शामिल है, लगभग कुल साइज़, 5500mm x 3000mm- 1 और 3660mm x 3000mm- 1।		
	f) टाइल फ़्लोरिंग और डैडो/स्कर्टिंग जिसमें बेड एडहेसिव/बैक मोर्टार शामिल है और नई फ़िनिश के लिए सतहों को अच्छी तरह से साफ़ करना - लगभग 86 Sqm का एरिया है। g) जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग जिसमें फ्रेमवर्क, POP कॉर्निस वगैरह शामिल हैं, लगभग 105 sqm एरिया का, h) MS फ्रेम वाली ग्लेज्ड खिड़कियां, जिनमें वेल्ड मेश पैनल होंगे, जिनका कुल साइज़ लगभग 1100mm x 1200mm होगा - 8 नंबर, जिसमें होल्ड फास्ट वगैरह भी शामिल हैं और दीवार में हुए नुकसान को ठीक किया जाएगा। वेल्ड मेश पैनल को दोबारा इस्तेमाल के लिए एक के ऊपर एक रखा जाएगा। दर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को एक के ऊपर एक रखना, जगह को अच्छी तरह साफ़ करना, और बैंक की जगह से मलबा हटाना और हटाना शामिल होगा, यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार किया जाएगा।	1.00	काम
2	दीवारों के लिए 230mm/115 mm मोटी ईंट की चिनाई करना, जहाँ भी ज़रूरत हो, ओपनिंग वगैरह बंद करना, CM 1:6 में सबसे अच्छी क्वालिटी की लोकल ईंटों का इस्तेमाल करना, सही प्लंब, लाइन और लेवल में, पास की दीवार/कॉलम/फ्लोरिंग वगैरह के लिए सही की देना, हर चौथे कोर्स पर कंक्रीट के कवर में 6mm डायमीटर की 2 रे बार लगाना (115mm मोटी दीवारों के लिए), जोड़ों को रेक करना, ज़रूरी मचान बनाना, क्योरिंग, सफाई, बैंक की जगह के बाहर अगर कोई मलबा हो तो उसे हटाना वगैरह, ये सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा करना।	1.50	वीर्य
3	**RCC लिंटेल देना और कास्ट करना** , जो अप्रूव्ड क्वालिटी 20 mm और डाउनसाइज़ ग्रेडेड ग्रेनाइट मेटल, M-सैंड और अप्रूव्ड पोर्टलैंड सीमेंट से बने हों,		

	जिसमें शटरिंग, क्योरिंग, डिस्पोज़ ऑफ़ और मलबे को हटाना वगैरह शामिल है। सब कुछ बताए गए तरीके से पूरा हुआ। काम के दायरे में थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार देना, सीधा करना, काटना, मोड़ना और सही जगह पर रखना भी शामिल है - RCC लिंटेल के काम के लिए 150mm c/c स्पेसिंग पर मेन बार के तौर पर 10mm डायमीटर के 4 बार और स्टिरअप के तौर पर 8mm डायमीटर के बार। इसमें वायर बांधने का खर्च, वेस्टेज, साइट पर सभी मटीरियल ले जाने, लेबर चार्ज वगैरह शामिल हैं। सब कुछ बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा हुआ।	6.00	आरएमटीआर
4	**पैच प्लास्टरिंग:** चिनाई/RCC दीवारों की खुली सतह को रेक करके, पानी देकर और वायर ब्रश, झाड़ू से अच्छी तरह साफ करके तैयार करना, CM 1:4 का इस्तेमाल करके पैच में औसतन 20 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर लगाना और लगाना, अप्रूव्ड क्वालिटी OPC और रेत का इस्तेमाल करना, सीधा, लेवल और आस-पास की सतहों से लाइन मैच करना वगैरह। दीवार के प्लास्टर की सतह एक जैसी होनी चाहिए और फिनिशिंग चिकनी होनी चाहिए। दर में क्योरिंग, लेबर, तैयार काम के लिए ज़रूरी सभी लीड और लिफ्ट वगैरह, मलबा हटाना वगैरह शामिल होंगे, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरे किए जाएंगे।	30.00	वर्गमीटर
5 6	**खिड़कियों के लिए ग्रेनाइट सिल** खिड़कियों वगैरह की चौखटों के लिए 16 से 18mm मोटे मिरर पॉलिश्ड/लेदर-फिनिश्ड ग्रेनाइट स्लैब (150mm से 200mm चौड़े) देना और लगाना, दीवार की पूरी चौड़ाई में 20mm मोटे बेस सीमेंट मोर्टार 1:4 से सही लेवल, लाइन वगैरह में एक ही पीस में लगाना। दर में मौजूदा प्लास्टर फिनिश को हटाकर और हटाकर सतह तैयार करना, ग्रेनाइट के खुले किनारों को ज़रूरी प्रोफ़ाइल में ढालना और उसे मिरर फिनिश तक पॉलिश करना वगैरह शामिल होगा। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा। ग्रेनाइट का बेसिक दर Rs 275/- sqft माना जाएगा, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। **पाउडर कोटेड एल्यूमीनियम स्लाइडिंग खिड़कियां**	2.00	वर्गमीटर
	अप्रूव्ड मेक और क्वालिटी की पाउडर कोटेड एल्यूमीनियम स्लाइडिंग खिड़कियां (दो शटर) देना, बनाना और लगाना, जिनके ग्लास पैनल नीचे दिए गए हैं।		
	निचला फ्रेम 62 x 29.5 x 1.50 मिमी आकार का है, जिसका न्यूनतम वजन 0.902 किलोग्राम/मीटर है, किनारों और शीर्ष पर अनुभागों का न्यूनतम वजन 0.807 किलोग्राम/मीटर आदि है। स्लाइडिंग शटर अनुभाग 39x20x1.5 मिमी के होंगे, सादे अनुभागों का न्यूनतम वजन 0.488 किलोग्राम/मीटर, इंटरलॉक अनुभाग 0.605 किलोग्राम/मीटर और निचला रनर अनुभाग 0.606 किलोग्राम/मीटर आदि होंगे। फ्रेमवर्क और शटर को 50 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई के साथ अनुमोदित शेड में पाउडर कोटेड किया जाएगा।		

	स्लाइडिंग शटर में 4mm मोटा प्लेन रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा होता है, जो फ्रेम में EPDM गैस्केट वगैरह के साथ फिट होता है। फ्रेम और सैश के सभी कोने और जोड़ ठीक से जुड़े होने चाहिए। सिस्टम में हर सील्ड यूनिट के नीचे हॉरिजॉन्टल मेंबर से पानी निकलने के लिए सही ड्रेनेज मैकेनिज्म होना चाहिए। बैंक के इंजीनियर के कहने पर, खिड़कियों में ज़रूरत के हिसाब से हैंडल, लॉक और चाबी का इंतज़ाम, नायलॉन रोलर वगैरह होने चाहिए। पूरी खिड़की को पहले से तैयार ओपनिंग में, हाई क्वालिटी फास्टनर का इस्तेमाल करके बाहरी फ्रेम में ड्रिलिंग और फिक्सिंग करके फिक्स किया जाएगा और लीक-प्रूफ इंस्टॉलेशन और पूरा करने के लिए दीवार और खिड़की के फ्रेम के बीच के गैप को भरने के लिए सिलिकॉन सीलेंट लगाया जाएगा। खिड़की का कुल साइज़ लगभग 1100mm x 1200mm होगा।		
	नोट: ठेकेदार को साइट का निरीक्षण करना होगा और कोटेशन देने से पहले ज़रूरी खिड़कियों के साइज़ को वेरिफ़ाई करना होगा। सिस्टम में दिए जाने वाले सभी आइटम जैसे फ्रेम, हार्डवेयर, लॉक, हैंडल वगैरह को इंस्टॉलेशन से पहले अप्रूव करवाना होगा।	11.00	वर्ग मीटर
7	**पॉलीयुरेथेन फ़्लोरिंग**		
	तेल, ग्रीस, गंदगी, ढीले मटीरियल वगैरह को अप्रूव्ड डिटर्जेंट / डीग्रीज़िंग कंपाउंड, मैकेनिकल क्लीनिंग वगैरह से हटाकर सबस्ट्रेट तैयार करना और फिर शॉर्ट ब्लास्टिंग और फिर वैक्यूम क्लीनिंग से ढीले कंक्रीट / मोर्टार को हटाना। टॉपकोट के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीयूरेथेन प्रोडक्ट्स के साथ कम्पैटिबल मटीरियल से फर्श पर सभी गड्ढों / गड्ढों / दरारों / जोड़ों की पैच रिपेयर करना। मीडियम से हेवी शुल्क, सीमलेस, सॉल्वेंट-फ्री, नमी से असंवेदनशील और खाने के लिए सुरक्षित पॉलीयूरेथेन कंक्रीट फ्लोरिंग सिस्टम देना और लगाना, जिसकी डेंसिटी 1950 kg/cum से कम न हो और मौजूदा कंक्रीट फ्लोर की सतह पर कम से कम 4mm की कुल मोटाई हो। फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल अप्रूव्ड मेक (M/s Master Builders का Ucrete MF या M/s Fosroc का Nitoflor SL 3000 UT) और अप्रूव्ड रंग का होना चाहिए ताकि स्मूद और एक जैसा मैट फिनिश मिले।		
	फ़्लोरिंग को 1mm मोटे स्क्रैच कोट और 3mm मोटे टॉपकोट (स्क्रैच कोट लगाने के 48Hrs पहले) में मैन्युफैक्चरर के प्राधिकृत एप्लीकेटर द्वारा मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई एप्लीकेशन गाइडलाइन के अनुसार लगाया जाएगा। हर कोट को अगला कोट लगाने से पहले ज़रूरी समय तक सूखने दिया जाएगा और दर में बैंक की जगह से कचरा हटाना और फेंकना, काम करने की जगह की सफ़ाई वगैरह शामिल होंगे, ये सभी काम बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरे किए जाएंगे। (भुगतान के लिए सिर्फ़ साफ़ फ़िनिश्ड एरिया को ही मापा जाएगा।)	115.00	वर्ग मीटर
8	**मैनेजर केबिन, विज़िटर गैलरी, पैसेज वगैरह में विट्रिफाइड टाइल फ़्लोरिंग।**		

	मौजूदा फर्श को अच्छी तरह से काटकर, सतह की सफाई करके, अनुमोदित गुणवत्ता के विट्रिफाइड टाइलों (1200 मिमी X 600 मिमी या निकटतम उपलब्ध आकार) के साथ फर्श की फिनिश प्रदान करके मोज़ेक सतह तैयार करना और 6 मिमी मोटाई के पॉलिमर संशोधित त्वरित सेटिंग चिपकने वाले का उपयोग करके फर्श की तैयार सतह को बनाना और चिपकने वाला टाइल के पूरे आधार क्षेत्र पर पूरी तरह फैलाना (यदि फर्श में कोई उतार-चढ़ाव हो, तो उसे पॉलिमर संशोधित मोर्टार का उपयोग करके समतल किया जाना चाहिए) टाइलों आदि की उचित बाध्यकारी के लिए। टाइलों को 3 मिमी स्पेसर का उपयोग करके बिछाया जाना चाहिए और जोड़ों को सही लाइनों और स्तरों पर मिलान वाले शेड के इपॉक्सी जॉइंटिंग कंपाउंड के साथ इंगित करना चाहिए। दर में साइट पर सभी सामग्रियों की लागत और परिवहन, पैटर्न में टाइलों के विभिन्न शेडों का उपयोग, बिछाने, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए श्रम शुल्क, आवश्यक स्तर / रेखा आदि	35.00	वर्गमीटर
9	**जिप्सम बोर्ड की झूठी छत**		
	M/s Gyproc India Ltd के विनिर्देश के अनुसार अलग-अलग लेवल पर सस्पेंडेड, स्टेप्ड टाइप जिप्सम बोर्ड प्लेन फॉल्स सीलिंग सिस्टम और कोविंग देना और लगाना, जो जिप्सेरा फ्रेमवर्क सेक्शन पर मजबूती से फिक्स किया गया हो, जैसा कि अटैच्ड स्केच में है और जैसा नीचे डिटेल में बताया गया है:		
	i) दीवार के साथ-साथ 20mm X 28mm x 30mm के पेरीमीटर चैनल, नायलॉन स्लीव्स और स्क्रू की मदद से 600mm c/c पर फिक्स किए गए। ii) इंटरमीडिएट चैनल 15mm x 45mm x 15mm, 1200 mm c/c से ज़्यादा की दूरी पर नहीं।		
	iii) सीलिंग एंगल 25mmx10mmx 0.55 mm मोटा, GI क्लैट और स्टील एक्सपेंशन एंकर फास्टनर के साथ सॉफिट पर फिक्स किया गया। iv) सीलिंग चैनल 80mm x 26mm x 51 x 0.5mm @450mm/ 475mmc/c. को GI इंटरमीडिएट चैनल के परपेंडिकुलर दिशा में हर जंक्शन पर 2.64mm डाया x 230mm लंबे GI वायर से बने कनेक्टिंग क्लिप के साथ फिक्स किया जाएगा। v) 12.5 mm मोटा प्लेन जिप्सम बोर्ड 25mm ड्राईवॉल स्क्रू से 230mm c/c पर सीलिंग सेक्शन पर फिक्स किया जाता है। आखिर में बोर्ड को जोड़ा और फिनिश किया जाता है ताकि वे एक जैसे दिखें और बोर्ड को इस तरह लेवल किया जाता है कि वे एक ही प्लेन में आ जाएं, जिसमें बोर्ड के किनारों को जॉइंटिंग कंपाउंड, पेपर टेप वगैरह से भरना और फिनिशिंग करना शामिल है।		
	vi) फॉल्स सीलिंग की सतहों पर पहली क्वालिटी के 100% ऐक्रेलिक इंटीरियर इमल्शन पेंट के दो या ज़्यादा कोट लगाना, जो मंज़ूर मेक का हो और सतह की ठीक से तैयारी, पुट्टी का काम वगैरह पूरा होने के बाद प्राइमर के एक कोट के ऊपर शेड लगाना।		
	दर में लाइट फिटिंग लगाने के लिए कट आउट/ओपनिंग, ज़रूरी अतिरिक्त फ्रेमवर्क, वेस्टेज, फिनिशिंग वगैरह शामिल होंगे। 0.4 sq.m. से ज़्यादा ओपनिंग के लिए एरिया मेज़रमेंट में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसी ओपनिंग बनाने के लिए कोई अतिरिक्त मेज़रमेंट नहीं किया जाएगा। नेट एक्सपोज़्ड फिनिश्ड एरिया को मेज़र किया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। काम मैन्युफैक्चरर के विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा, जिसमें जिप्रोक इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए		

	गए कोल्ड रोल्ड जिप्सील जिप्सेरा सेक्शन और जिप्सम बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा।		
	नोट: - फॉल्स सीलिंग डिटेल्ड स्केच और विनिर्देश के अनुसार सही लाइन, लेवल, प्रोफ़ाइल वगैरह में दी जाएगी और हाई-क्लास तरीके से फ़िनिश की जाएगी। सीलिंग में ज़रूरी संख्या में ट्रैप डोर दिए जाएंगे।	140.00	वर्गमीटर
10	**धातु ग्रिड प्रकार झूठी छत**		
	एक सस्पेंडेड इंटरलॉकिंग मेटल ग्रिड सिस्टम पर सही लेवल पर लगी हुई, अप्रूव्ड मेक की परफोरेटेड बेवेल्ड एज टाइल्स के साथ स्विंग डाउन ले-इन मेटल फॉल्स सीलिंग देना और बिछाना। इसमें 24x32x0.3x3600mm साइज़ का मेन "T" रनर, 24x 25x0.3 x1200mm साइज़ का क्रॉस "T", 24x 25x 0.3x600mm साइज़ का सेकेंडरी क्रॉस "T" और 24x 24 x 0.4x 3000 mm साइज़ का PPGI वॉल एंगल होता है । सभी T-सेक्शन की 24 mm चौड़ाई की बॉटम एक्सपोज़्ड कैपिंग 0.25mm मोटी PPGI की होगी। इस तरह बना ग्रिड सिस्टम, 2mm/3mm एडजस्टेबल GI वायर या GI रॉड का इस्तेमाल करके सही लाइन और लेवल में सही सीलिंग से सस्पेंड किया जाएगा, जिसे C चैनल पर हर 1200mm के गैप पर 6mm नायलॉन रॉल प्लग और आई हुक या L क्लैट का इस्तेमाल करके छत पर फिक्स किया जाएगा। सीलिंग टाइल मॉड्यूल रिवील एज का होगा, प्री-कोटेड हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील परफोरेटेड मेटल टाइल्स का साइज़ (595x595)mm होगा, जिसके फेस साइड पर 60-65 माइक्रोन पाउडर कोटिंग होगी, ड्रॉप 9.5mm और कुल मोटाई 0.5mm होगी, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन (120GSM गैल्वेनाइजिंग) से बना होगा, NRC≥0.5 होगा, ओपन एरिया >18% होगा, डायमीटर 1.8mm के डायगोनल परफोरेशन होंगे @ पिच 2.5mm (557x557)mm एरिया में होगी और काले रंग के अकूस्टिक फ्लीस से बैक किया जाएगा, इसे ग्रिड में रखा जाएगा। यह सब मैन्युफैक्चरर के विनिर्देश के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार होगा।		
	नोट: दर में लाइट फिटिंग लगाने के लिए कट आउट/ओपनिंग, ज़रूरी अतिरिक्त फ्रेमवर्क, वेस्टेज, फिनिशिंग वगैरह शामिल होंगे। 0.4 sq.m से ज़्यादा ओपनिंग के लिए एरिया मेज़रमेंट में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसी ओपनिंग बनाने के लिए कोई अतिरिक्त मेज़रमेंट नहीं किया जाएगा। भुगतान के लिए सिर्फ़ फिनिश्ड एक्सपोज़्ड एरिया ही मेज़र किया जाएगा।	36.00	वर्गमीटर
11	**दीवार/स्तंभ पैनलिंग**		

	संलग्न विस्तृत स्केच के अनुसार और निम्नलिखित विअनुदेशों के साथ, फर्श की सतह से 1000 मिमी की ऊंचाई तक के स्तंभों और दीवारों के लिए पैनलिंग प्रदान करना और बनाना। पैनलिंग के लिए ढांचा 50 मिमी x 25 मिमी x 1.20 मिमी एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न के साथ अनुमोदित मेक के साथ बनाया जाएगा, स्तंभों के लिए सभी कोनों पर लंबवत और अन्यथा लंबवत और क्षैतिज रूप से 600 मिमी सी/सी से अधिक नहीं सही लाइन, प्लंब आदि में (दीवार/स्तंभ सतहों से यदि कोई आवश्यक प्रक्षेपण है तो जहां भी आवश्यक हो अतिरिक्त समर्थन लगाकर प्रदान किया जाएगा)। ऊपर बनाई गई ग्रिड को आवश्यक अंतराल पर जीआई काउंटर सनक स्क्रू का उपयोग करके अनुमोदित मेक के 9 मिमी मोटे बीडब्ल्यूपी ग्रेड समुद्री प्लाईवुड से कवर किया जाएगा। प्लाईवुड की उजागर सतहों को		
	पैनल वाली सतहों के खुले सीधे कोनों पर 38mmx 38mm x 1.50mm साइज़ की पॉलिश की हुई स्टेनलेस स्टील की कॉर्नर बीडिंग लगाई जाएगी और दीवार पैनलिंग के ऊपरी हिस्से समेत बाकी सभी खुले किनारों पर सही साइज़ की हार्ड लकड़ी की बीडिंग लगाई जाएगी और उन्हें पेंट/पॉलिश वगैरह से फिनिश किया जाएगा, सब कुछ बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा। दर में बिजली के पाइप को सीधा ले जाने का इंतज़ाम, साइट तक सभी सामान की लागत और ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्ज, लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज, लीड और लिफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह शामिल होंगे, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरे किए जाएंगे। नेट खुला फिनिश्ड एरिया मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा।	66.00	वर्गमीटर
	विभाजन		
12	**डबल स्किन पार्शियली ग्लेज्ड पार्टीशन देना और ठीक करना**		
	डबल स्किन, पूरी ऊंचाई वाला, थोड़ा ग्लेज्ड और थोड़ा पैनल वाला पार्टीशन लगाने और लगाने में ये विवरण शामिल हैं। पार्टीशन का फ्रेमवर्क 50mm x 50mm x 1.50mm एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम सेक्शन से बनाया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ (हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल) 600mm c/c से ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हिस्सों को हर जंक्शन के लिए 50 mm x 50 mm x 40 mm x 2 mm मोटे एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम / GI क्लैट के 2 पीस का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ा जाएगा, और 15 mm x 3.5 mm सेल्फ-टैपिंग GI स्क्रू से बांधा जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से बनाया गया फ्रेमवर्क नीचे फर्श पर और छत पर (हर कोने पर और हर तीसरे कोने पर वर्टिकल फ्रेम को असली छत तक बढ़ाया जाएगा) सही साइज़ के फास्टनर का इस्तेमाल करके मजबूती से लगाया जाएगा। पार्टीशन के नॉन ग्लेज्ड हिस्से को दोनों तरफ 12mm मोटे BWP ग्रेड मरीन प्लाईवुड से ढका जाएगा, जिसे 1mm मोटे लैमिनेशन के साथ अप्रूव्ड रंग और पैटर्न वगैरह से फिनिश किया जाएगा।		
	पार्टीशन के ग्लेज्ड हिस्से 8mm मोटे टफ ग्लास के होंगे, और ग्लास पैनल के किनारों को चारों तरफ से 32 x 12mm साइज़ की हार्ड वुड बीडिंग से सुरक्षित किया जाएगा, और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पेंट/पॉलिश वगैरह से फिनिशिंग पूरी की जाएगी। फर्श और फॉल्स सीलिंग के बीच ऊंचाई मापने के साथ नेट खुला एरिया मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा।	82.00	वर्गमीटर
13	**का कम से कम 30 मिमी मोटा सॉलिड फ्लश दरवाजा प्रदान करना और लगाना।** दरवाजे के शटर के खुले चेहरे को ड्राइंग में दिखाए गए पैटर्न और डिजाइन के अनुसार दोनों तरफ स्वीकृत मेक के 1 मिमी मोटे लैमिनेट से चिपकाया जाएगा और शेड किया जाएगा (आवश्यकता होने पर लैमिनेट के विभिन्न शेड्स		

	का उपयोग करके)। शटर को आवश्यक आकार के 8 मिमी मोटे टफन्ड ग्लास पैनल के साथ 20 मिमी x 12 मिमी आकार के हार्ड लकड़ी के बीडिंग आदि के साथ प्रदान किया जाएगा। शटर को पार्टीशन में छोड़े गए उद्घाटन पर फिक्स किया जाएगा (शटर को फिक्स करने के लिए पार्टीशन उद्घाटन की पूरी मोटाई में आवश्यक चौतरफा बीडिंग प्रदान की जाएगी) तीन 125 मिमी आकार के हेवी शुल्क एसएस मैट	3.00	नहीं
14	**क्लेम सेक्शन के एंट्रेंस पर फ्रेम के साथ लकड़ी के दरवाज़े को फिर से लगाना (कुल साइज़ 1500mm x 2100mm)**		
	फ्रेम हटाकर और ऊपर आइटम 01 के तहत स्टैक करके लकड़ी के दरवाजे को फिर से लगाना, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। a) दरवाजे के फ्रेम को दीवार पर बनाए गए उद्घाटन पर, सही लाइन, लेवल आदि में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक आदि में एम्बेडेड MS होल्ड फास्ट (प्रत्येक तरफ 3 की संख्या) को फिक्स करके फिक्स किया जाएगा। b) छोटी-मोटी मरम्मत (जिसमें एक विनियर पैनल को कांच से बदलना और यदि आवश्यक हो तो अन्य पैनलों पर नया विनियर लगाना शामिल है) के बाद नए पीतल के कब्ज़ों (प्रति शटर 3 की संख्या), हैंडल, एल्ड्रॉप्स आदि के साथ शटर को दरवाजे के फ्रेम पर फिक्स करना, c) दरवाजे के फ्रेम, शटर, रीपर आदि को उपलब्ध कराना और पॉलिश करना, मौजूदा पॉलिश को अच्छी तरह से खुरच कर और हैंडहेल्ड सैंडर का उपयोग करके चिकनी फिनिश के लिए सैंड पेपरिंग करना, सैंडिंग सीलर के 2 कोट लगाना और साटन फिनिश प्राप्त करने के लिए मेलामाइन स्प्रे पॉलिश दरवाज़े का कुल साइज़ लगभग 1500mm x 2100mm है।	1	काम
15	**पार्टीशन वॉल में लकड़ी के दरवाज़े के शटर को फिर से फिक्स करना। दरवाज़े के शटर का लगभग साइज़ - 900mm x 2100mm**		
	ऊपर आइटम 01 के तहत हटाए गए और रखे गए लकड़ी के दरवाज़े के शटर को नए बने पार्टीशन ओपनिंग में नीचे दिए गए डिटेल के अनुसार फिर से लगाना। a) छोटी-मोटी मरम्मत के बाद दरवाज़े के शटर को पार्टीशन में नए SS मैट फ़िनिश हिंज, हर शटर पर 3 हिंज वगैरह लगाकर लगाना। b) शटर की खुली सतहों पर अप्रूव्ड मेक का 1mm मोटा लैमिनेट चिपकाना होगा और अप्रूव्ड क्वालिटी के एडहेसिव वगैरह का इस्तेमाल करके शेड करना होगा। c) दरवाज़े के शटर के सभी खुले किनारों और पैनल वगैरह के चारों ओर सही साइज़ की हार्ड लकड़ी की लिपिंग लगानी होगी और एक जैसी फ़िनिश पाने के लिए पेंट/पॉलिश करना होगा। d) दरवाज़े पर नया हैंडल टाइप लॉकिंग सिस्टम, डोर स्टॉपर वगैरह लगाना होगा, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरे होंगे।	2.00	नग
16	साथ में दिए गए स्केच के अनुसार और नीचे दिए गए विनिर्देश के साथ **कैश काउंटर टेबल अरेंजमेंट देना और बनाना ।** a) कस्टमर साइड पर काउंटरटॉप (2200mm लंबा): बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जिसका क्रॉस सेक्शनल डाइमेंशन 300mm x 250mm है, उसे 19mm मोटे BWP ग्रेड मरीन प्लाईवुड से बनाया जाएगा, जो अप्रूव्ड मेक का होगा और जहाँ भी ज़रूरत हो, ज़रूरी MS सेक्शन सपोर्ट भी दिया जाएगा। काउंटरटॉप को अप्रूव्ड मेक और शेड की पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइल (टाइल का बेसिक दर Rs 200/sqft होगा, जीएसटी को छोड़कर) से अप्रूव्ड तरीकों से चिपकाया जाएगा, जिसमें ज़रूरी एज बेवलिंग वगैरह शामिल है। काउंटर यूनिट की खुली सतहों को अप्रूव्ड मेक और शेड वगैरह के 1mm मोटे लैमिनेट से चिपकाया जाएगा। लैमिनेट से फिनिश की		

	गई मरीन प्लाईवुड बॉक्सिंग से बनी ड्रॉअर की व्यवस्था काउंटर बॉक्स वगैरह में काटकर और खोलकर की जाएगी।		
	b) काउंटरटॉप- स्टाफ साइड (2200mm लंबा): स्टाफ साइड पर काउंटरटॉप 600mm चौड़ा होगा, जो 19mm मोटे BWP ग्रेड मरीन प्लाईवुड से बना होगा, जिसमें ज़रूरी सपोर्ट फ्रेमवर्क वगैरह होगा। ऊपर की सतह पर 1mm मोटा लैमिनेट चिपकाया जाएगा, जो अप्रूव्ड मेक का होगा और नीचे की सतह पर 0.80mm मोटा बैलेंसिंग लैमिनेट चिपकाया जाएगा, जिसमें ज़रूरी एज बैंड वगैरह होंगे। काउंटर के साथ एक स्टोरेज कैबिनेट जुड़ा होगा, जिसका कुल साइज़ 600mm x 600mm x 750mm होगा (एक पुल आउट ड्रॉ और एक फाइल कैबिनेट), जो प्लाई और लैमिनेट फिनिश, पाउडर कोटेड MS कीबोर्ड ट्रे वगैरह से बना होगा, जो बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा होगा।	1	काम
17	अटैच्ड स्केच के अनुसार और नीचे दिए गए विनिर्देश के साथ, फ्लोर लेवल से 300mm की ऊंचाई वाली पार्टीशन दीवार के साथ **SS गार्ड बार अरेंजमेंट देना और लगाना।**		
	ऊपर का पाइप 16 गेज का होगा, SS 304 ग्रेड का 38mm डाया SS पाइप और 600mm c/c से ज़्यादा के गैप पर वर्टिकल सपोर्ट उसी गेज और ग्रेड के 25mm डाया SS पाइप के होंगे। पाइपों को ठीक से वेल्ड करके बेस प्लेट और बोल्टिंग अरेंजमेंट वगैरह का इस्तेमाल करके फर्श/दीवार पर फिक्स किया जाएगा। बैरियर की पूरी सतहों को पॉलिश/बफ किया जाएगा ताकि एक साफ़ चमकदार फिनिश वगैरह मिल सके, यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाएगा।	26.00	आरएमटीआर
18	दीवारों पर लगे पेंट को खुरचकर सतह तैयार करना, एक कोट प्राइमर और एक कोट वॉल पुट्टी के ऊपर अप्रूव्ड मेक और शेड के प्रीमियम क्वालिटी के ऐक्रेलिक इंटीरियर इमल्शन पेंट के 2 कोट लगाना और लगाना और अंदर की दीवारों को स्मूद फिनिश देने के लिए सैंडिंग करना, जिसमें साइट पर सभी सामान लाने और ले जाने का खर्च, लोडिंग और अनलोडिंग का चार्ज, लेबर चार्ज, मचान के लिए किराया और लेबर वगैरह शामिल हैं। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाता है।	80.00	वर्गमीटर
19	आइटम 1 के तहत हटाए गए और स्टैक किए गए बचाए जा सकने वाले आइटम को हटाने पर रिबेट	1	काम

दिनांक: निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर: स्थान:

<u>संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफ़ॉर्मा</u>

स्थान:
दिनांक:
रीजनल डायरेक्टर,
भारतीय रिज़र्व बैंक , संपदा विभाग , तिरुवनंतपुरम।

प्रिय सर/मैडम,

काम का नाम: बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड फ्लोर पर क्लेम सेक्शन का रेनोवेशन

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक , जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई " कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा ____________ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "कहा गया संविदार" कहा जाएगा) को दिया है, जिसमें उसके बाद आने वाले और असाइन किए गए लोग शामिल होंगे।

और जहाँ ठेकेदार इस संविदा के तहत आरबीआई को कुल ₹_____ (सिर्फ़ रुपये _____) की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि ठेकेदार संविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा कर सके। हम, ___________(बैंक का नाम),(इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), M/s__________, ठेकेदार के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर आरबीआई को ₹__________ से ज़्यादा की रकम देने का वादा करते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम ______________________ (शेड्यूल बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई , उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि निविदा देने वाले ने निविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया

है, जो नतीजा हम पर और साथ ही ठेकेदार पर भी लागू होगा, तो आरबीआई की मांग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के ₹______ (सिर्फ़ रुपये__________________) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को ठेकेदार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी ₹________ (सिर्फ़ रुपये________________) से ज़्यादा न हो।

2. हम यह भी वचन देने और पालन करने के लिए सहमत हैं कि उपरोक्त राशि ₹_______ (केवल रुपये ________________) से अधिक नहीं होगी, बिना किसी आपत्ति या विरोध के हमारे द्वारा आरबीआई से मांगने पर, लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उन्हें देय है, भुगतान किया जाएगा और हम किसी भी अन्य सबूत या प्रमाण की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/ओं के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

5. हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि:

(a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा। यह गारंटी सिर्फ़ ठेकेदार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा अधिकतम ₹10,000 से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने पर ही पूरी होगी।

₹________(केवल रुपये_________________)

(b) इन शर्तों के तहत हमारी लायबिलिटी ₹______ (सिर्फ़ ______________________ रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी।

(c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या इसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

(d) यह गारंटी ______ से ___महीनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, हमारे बताए गए नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा।

(e) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों को ऊपर बताए गए तरीके से ________ तारीख को या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, रिन्यू नहीं किया जाता, जिसके लिए सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक ऊपर दिए गए क्लॉज़ (d) के तहत उस तारीख से _____ महीनों के अंदर या किसी बढ़े हुए समय के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त हो जाएँगे और हमें इसके तहत सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई है, जो कि विधिवत अधिकृत है।

दा

____

(अनुसूचित बैंक की मुहर)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम, स्टाम्प/सील आदि)

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से साइन, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:

गवाह 1

हस्ताक्षर ....

नाम.........................

पता.............................।

नोट - इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की ज़रूरत होगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी के साइन होंगे जिसके साइन और अधिकार को वेरिफ़ाई किया जाएगा।

अनुलग्नक I

करार की शर्तें / समझौते के लेख (केवल संदर्भ के लिए)

-- के ------------------ दिन पर करार की मंजूरी एक पार्टी भारतीय रिज़र्व बैंक (यहां इसके बाद जिसे " आलोक " कहा गया है) और दूसरी पार्टी --(यहां इसके बाद जिसे " ठेकेदार " कहा गया है) के बीच निर्धारित की गई हैं।

समझौता आलेख एक पक्ष के भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे नियोक्ता कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के --------- (जिसे आगे ठेकेदार कहा जाएगा) के बीच -------- तारीख को बनाए गए।

जब की इंस्पेक्टर बैंक के मुख्य कार्यालय भवन , तिरुवनंतपुरम के तल मंजिल पर स्थित क्लाइंसीशन का सीवी बकाया का<extra_id_1> है और बैंक के इंजीनियर के निदेशानुसार किये जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए मात्रा का बिल , रेखाचित्र एवं विनिर्देश तैयार किये हैं।

जबकि नियोक्ता बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड फ्लोर पर क्लेम सेक्शन के रेनोवेशन का काम करने के लिए इच्छुक है। और बैंक के इंजीनियर के डायरेक्शन में किए जाने वाले काम को दिखाने और बताने वाले बिल ऑफ़ मात्राज़, ड्रॉइंग्स तैयार किए हैं।

और जबकि विअनुदेशों , मात्रा – अनुसूची पर अब से आधारभूत द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गये हैं।
और जबकि विनिर्देश और मात्राज़ के शेड्यूल पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से साइन किए गए हैं।

और जब कि संविदाकार ने इसमें घोषित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में बताई गई शर्तों और मात्रा अनुसूची और संविदा की यथा अनुमोदन और दोनों अपूर्ण द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों (उन सभी को यहाँ इसके बाद सामूहिक रूप से " उक्त अनुबंध " कहा गया है) पर ऊपर उक्त रेखाचित्रों में दर्शाये गये और / अथवा उक्त विअनुदेशों में वर्णित और उसमें घोषित संबंधित शर्तों पर मात्रा अनुसूची में शामिल करके निकाली गई राशि और ऐसी अन्य राशि पर जो उसके अंतर्गत भुगतान योग्य होगी (यहाँ इसके बाद जिसे " उक्त अनुबंध राशि " कहा गया है) कार्य का निष्पादन करने की सहमति प्रदान की है।
और जबकि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों और मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन और उन पर निष्पादन करने के लिए सहमति दे दी है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद “उक्त शर्तें” कहा जाएगा) जो कि उक्त विअनुदेशों में दर्शाए गए या वर्णित हैं और मात्राओं की अनुसूची में शामिल हैं, उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर उसमें निर्धारित राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय होगी (जिसे इसके बाद “उक्त ठेकेदार राशि” कहा जाएगा)।

अब इसके द्वारा शासित यह सहमति हुई है / NOW IT IS HEREBY AGRIDE AS FOUNDION:-

1. उक्त शर्तों में बताई गई विधि और समय - समय पर भ उगातान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए संविदाकार उक्त शर्त पर और शर्त के अधीन ऊपर दर्शाए गए रेखाओं और उक्त विशेष आकृतियों तथा मात्रा - अनुसूची मे वर्णित कार्य को निष्पादित और पूर्ण करेगा।
बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली संविदा की रकम के बदले, ठेकेदार साथ में दी गई शर्तों के तहत संविदा ड्रॉइंग में दिखाए गए और मात्रा के शेड्यूल और बताई गई शर्तों में बताए गए या बताए गए काम को पूरा करेगा।

2. नियोक्ता संविदाकार को उस संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो समय - समय पर और उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट विधि से भुगतान योग्य होगी।
नियोक्ता ठेकेदार को बताई गई संविदा रकम, या ऐसी रकम जो देने लायक हो, बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य के पर्यवेक्षण , बिलों के आवेदक , भुगतान और विभिन्न पॉजिटिव के कार्यान्वयन , अनुबंध की पॉजिटिव के प्रबंध और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की व्यवस्था होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक कामों की देखरेख, बिलों के सर्टिफ़िकेशन, भुगतान करने और संविदा की अलग-अलग शर्तों और नियमों को लागू करने का इंतज़ाम करेगा।

4. उक्त संविदा और संबंधित परिशिष्ट इस करार के भाग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे और उस संदर्भ में भागियाँ अब से इसमें निहित उक्त शर्तों को क प्रति प्रतिबद्ध रहेगी , उनकी प्रति अपनी आपको समर्पितगी तथा अपनी - अपनी ओर से करारों का निष्पादन करेगी।
बताई गई शर्तें और उसके अपेंडिक्स और साथ में दिया गया लेटर इस करार का हिस्सा माने जाएंगे और इसमें शामिल पार्टियां अपनी-अपनी शर्तों और लेटर का पालन करेंगी, उनके मुताबिक खुद को पेश करेंगी और अपनी-अपनी तरफ से बताई गई शर्तों और लेटर में दिए गए करार को पूरा करेंगी।

5. उक्त नक्शा , करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस करार का आधार होंगे।
यहां बताए गए प्लान, करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार होंगे।

6. यह संविदा न तो एक एकमुश्त संविदा है और न ही एक मद वार उजड़ती काम है बल्कि यह एक ऐस ई स विदा है जिसके अंतर्गत उक्त कार्य पूरा करना है और उसके लिए लाइनों की अनुसूची में निहित लाइनों और संभावित मात्राओं की अनुसूची मे दी गई लाइनों पर वास्तविक रूप से मापी गई मात्राओं अथवा उक्त शर्तों में यथा निर्धारित लाइनों के अनुसार भुगतान किया जाना है।
यह संविदा न तो फिक्स्ड Lump Sum संविदा है और न ही पीस वर्क संविदा, बल्कि यह पूरे काम के लिए एक संविदा है, जिसका भुगतान असल मात्रा के हिसाब से शेड्यूल ऑफ़ दर और संभावित मात्रा में दिए गए दर पर या बताई गई शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

7. संविदाकार उक्त शर्तों में निर्धारित की गई विधि से सिविल कार्यों और अनुषंगी कार्यों से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसा कार्य पूर्ण होने के बाद दीवारें , फर्श , इत्यादि को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठीक करेगा।
संविदार, नियोक्ता द्वारा नियुक्त सभी कामों या दूसरे संविदारों को पूरा करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

8. नियोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनुबंध के चालू रहने के दौरान किसी भी समय , इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी मद को जोड़ कर अथवा हटा कर उसके रेखाचित्र और कार्य के प्रकार में परिवर्तन कर दे अथवा उसके बालों को पूरा करवा ले। तथापि , निविदा राशि से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे , जब तक बैंक के इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से लिखित आधार पर प्राप्त नहीं किया जाता है।
नियोक्ता इस संविदा पर बिना किसी नुकसान के किए जाने वाले कामों में कोई भी चीज़ जोड़ने या हटाने का अधिकार अपने पास रखता है। लेकिन, ठेकेदार निविदा मात्रा से ज़्यादा किए गए कामों के लिए किसी भी भुगतान का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर ने लिखकर इसकी खास मंज़ूरी न दे दी हो।

9. ' समय इस संविदा का महत्वपूर्ण कारक है और संविदाकार एतद्द्वारा सहमत है कि समय विस्तार का प्रावधान होते हुए भी वह कार्य आदेश जारी करने की तारीख से दसवें दिन से कथित शर्तों में उल्लिखित किए गए अनुसार जो भी बाद में हो , काम शुरू कर देगा और उसके बाद कार्य आदेश की तारीख के 10 वें दिन से 9 हफ्ते की अवधि के भीतर पूरा

काम करेगा। यदि कार्य को कार्य आदेश में निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है , तो कॉन्ट्रैक्टित मूल्य के अधिकतम 10% विलंबित विषय के प्रति सप्ताह संविदा राशि के 0.25% की दर से परिसमापन किया जाएगा। . इस संविदा के तहत इंजीनियर द्वारा दिए गए सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में ही दिए जाएंगे।
इस संविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा और ठेकेदार इस बात से सहमत है कि वह वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख के दसवें दिन से काम शुरू करेगा, जैसा कि शर्तों में बताया गया है और बैंक द्वारा दिए गए समय बढ़ाने के बावजूद, वर्क ऑर्डर की तारीख के दसवें दिन से नौ हफ़्ते के अंदर पूरा काम पूरा करेगा। अगर वर्क ऑर्डर में तय समय के अंदर काम पूरा नहीं होता है, तो देरी के हर हफ़्ते के लिए संविदा अमाउंट का 0.25%, जो संविदा वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा, के हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेज लगाया जाएगा। इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान सिर्फ़ तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे ।

10. है संविदा के नीचे आलोक द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।
इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान सिर्फ़ तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे ।

11 . इस समझौते से उत्पन्न अथवा किसी भी प्रकार से इससे संबंधित सभी विवादों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम में उठ रहे हैं और उनके संबंध में निर्णय के लिए केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालय ही न्यायक्षेत्र होंगे। इस करार से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े तिरुवनंतपुरम में हुए माने जाएंगे। और केवल तिरुवनंतपुरम में न्यायालय इसे तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

1 2. यह कि संविदाकार द्वारा इस संविदा के विभिन्न भागों को पढ़ाया गया है और उन्हें संविदाकार द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है।
इस करार के कई हिस्सों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

13. संविदाकार है करार के संबंध में अपने संविदात्मक बैंकिंग को पूरा करने के इस दौरान ठेकेदार को महंगाई वाली कोई भी जानकारी , सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा / सिस्टम / उपस्करों आदि के संबंध में महंगाई वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंद्रधनुष किसी अन्य पक्षकार को नहीं होगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए मनरेगा। लागू कानून का फाइबर करने या संविदा के अधीनस्थ अपने बैंकिंग को पूरा करने के के लिए आवश्यक होने की स्थिति को फांसी ठेकेदार है संविदा के ब्यौरों को प्राइवेट दायरा में और गोपनीय मनरेगा। बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार किसी व्यापारिक या तकनीकी कागज़ में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित होगा , न हाय प्रकाशन की अनुमति देगा और न हाय इसका इंद्रधनुष होगा। किसी गोपनीय जानकारी के इंद्रधनुष के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के के लिए ठेकेदार बैंक को मासिक होगा। फिंगरप्रिंट पॉजिटिव का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और आलोक हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का चूत होगा।
है करार के अधीनस्थ गोपनीय जानकारी का इंद्रधनुष न किए जाने के गतिशीलता को <extra_id_1> करने के के लिए ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई होगा।
इंद्रधनुष न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का गतिशीलता है करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहना।
ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। ठेकेदार संविदा की विवरण को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की तरफ से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।
ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ पूरी होंगी।
किसी भी कारण से इस करार के एक्सपायर होने या खत्म होने के बाद भी यह लागू नहीं होगा।

14. विदारक संविदा श्रम (विदेशी) और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और इसके नीचे बनाए गए सभी अनुशासन का पालन होगा और इसके नीचे सभी आवश्यकताओं को पूरा होगा। ठेकेदार किसी एक दिन कार्य पर पौधों जाने वाले अधिकतम मज़दूर की संख्या के के बारे में में बैंक को बताओ। है संख्या में होने वाली वृद्धि को बिना किसी देरी के बैंक को बताया जाए। यदि कार्य के के लिए पौधों जाने वाले मजूदरों की संख्या बीस या उससे अधिक होती है तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त होगा। ठेकेदार अपने द्वारा काम पर पौधों गए सभी मज़दूरों को न्यूनतम मजूदरी का भुगतान <extra_id_1> होगा।
ठेकेदार को संविदा लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बताई गई सभी ज़रूरतों को मानना होगा और उन्हें पूरा करना होगा। ठेकेदार को बैंक को यह बताना होगा कि एक दिन में काम पर कितने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाए जा सकते हैं। बाद में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, तो बिना देर किए बैंक को बताना होगा, अगर काम के लिए बीस या उससे ज़्यादा लेबर लगाए जाते हैं, तो ठेकेदार को रीजनल लेबर कमिश्नर से लाइसेंस लेना होगा। ठेकेदार को यह पक्का करना होगा कि उसके यहां काम पर रखे गए सभी लेबर/वर्कमैन स्टाफ को मिनिमम वेज का भुगतान हो।
15. क) संविदाकार कामकाज पर महिलाएं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013 (" अधिनियम ") के एफआईआर का पूर्ण अनुपालन करने के के लिए पूरी जैसे जिम्मेदार होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (चेन्नई कार्यालय) के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले शिकायत ठेकेदार / एजेंसी द्वारा फैशनेबल शिकायत समिति के तुलनात्मक याचिका की जाएगी ठेकेदार / एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के नीचे सक्षम कार्रवाई <extra_id_1> होगा।
ख . संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का दलदल बैंक द्वारा फैशनेबल क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
जी . यदि घटना में ठेकेदार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो हमें स्थिति आपूर्ति की जाने किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के के लिए ठेकेदार उत्तरदायित्व होगा , उदाहरण के के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाति है।
घ . फुटेज पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और अन्य संबंधित मुद्दे पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
ङ . संविदाकार बैंक परिसर में काम पर पौधों गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेट करें सूची उपलब्ध करवाएगा।
a) संविदार/एजेंसी “वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013” के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, संविदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
b) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट कमेटी ध्यान देगी।
c) अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।
d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
e) ठेकेदार को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

16 . संविदाकार निम्न के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में बीमा करवाएगा और उसे लागू डेंगू

i) कार्य के निष्पादन से / दौरान होने वाली तीसरा पार्टी के नुकसान / व्यक्ति या एस्टेट को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।

ii) कार्य के निष्पादन के इस दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर पौधों गए कामगार के कारण हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।

iii) लागू पीएफ / श्रम धोखाधड़ी , ईएसआई , बैंकिंग आदि का फाइबर न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।

ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा:

i) काम के दौरान या उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को हुए जान-माल के नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी क्लेम।

ii) काम के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए वर्कर्स को हुए नुकसान/डैमेज से होने वाला कोई भी क्लेम।

iii) लागू PF/श्रम कानूनों, ESI, नियमों वगैरह का पालन न करने के कारण कोई भी क्लेम

आलोक और ठेकेदार है के बारे में में गवाही स्वरूप अपने - अपने हस्ताक्षर किए और इसका करो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गाय।
इसके सबूत के तौर पर नियोक्ता और ठेकेदार ने इन तोहफ़ों और इनकी दो कॉपी पर अपने-अपने दस्तखत किए हैं, जो ऊपर लिखे गए दिन और साल के हैं।

यदि ठेकेदार एक वफादारी फर्म या एक व्यक्ति हो
अगर ठेकेदार पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है।

आलोक और ठेकेदार है के बारे में में गवाही स्वरूप अपने - अपने अधिकृत हस्ताक्षर साक्षरता के माध्यम से फांसी किए और ठेकेदार ने इसका दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुजफ्फरपुर प्लगइन इसका करो प्रतियों पर उसकी या से टेक उक्त दिन और वर्ष को फांसी किया गया।
इसके सबूत के तौर पर, नियोक्ता ने अपने सही प्राधिकृत अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों पर अपने दस्तखत किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी कॉमन सील लगवाई है और कहा गया डुप्लीकेट/इन तोहफ़ों और इनकी दो डुप्लीकेट को अपनी तरफ़ से, ऊपर लिखे गए पहले दिन और साल में बनवाया है।

यदि ठेकेदार एक कंपनी है तो
अगर ठेकेदार कोई कंपनी है।

हस्ताक्षर खंड हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक की या से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
श्री / श्री

(नाम एवं आईएएस) / (नाम और पदनाम)
इनका उपस्थिति में हस्ताक्षर लायक गए / की उपस्थिति में

(1)
पता / पता

(2)
पता / पता

साक्षी / गवाह

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

यदि पार्टी भागीदारी फर्म या विशिष्ट वक्ता फर्म हो तो सभी अथवा सभी पार्षद की या से हस्ताक्षर लायक जाने चाहिए।
अगर पार्टी पार्टनरशिप फर्म है या कोई व्यक्ति है, तो सभी पार्टनर्स या सभी की ओर से साइन किए जाने चाहिए।

इनका उपस्थिति में हस्ताक्षर लायक गए / की उपस्थिति में
(1)
पता
(2)
पता / पता

साक्षी / गवाह

की सामान्य मुहर
निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक ----------- को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में इस पर ------------ की कॉमन मुहर लगाई गई है।

यह ___________________ को हुई मीटिंग में इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अनुसार लगाया गया है, जिसमें शामिल थे:

(1)
(2)

Director , जिन्होंने निम्नलिखित की फीडबैक में इसके प्रमाणस्वरूप में सार्वजनिक पर हस्ताक्षर किए हैं।
जिन डायरेक्टर्स ने इन तोहफ़ों पर साइन किए हैं, उनकी मौजूदगी में।
(1)
(2)

यदि वितरक उसके कॉमन मुजफ्फरपुर के नीचे हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर खंड सन लाइफस्टाइल के अन्तर्नियम में दिए गए मुजफ्फरपुर खंड से मेल भोजन चाहिए।
अगर ठेकेदार अपनी कॉमन सील के नीचे साइन करता है, तो हस्ताक्षर क्लॉज़ आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन में सीलिंग क्लॉज़ से मैच करना चाहिए।

विधिवत फैशनेबल गर्भावस्था एवं श्री

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुरपुद
ठेकेदार द्वारा श्री ________________________________ और विधिवत नियुक्त अटॉर्नी के हस्ताक्षर से और डिलीवर किया गया।

यदि ठेकेदार चाहे कंपनी के रूप में या व्यक्तिगत रूप में मुख्तारनामा के नीचे हस्ताक्षर करता हो तो
अगर ठेकेदार पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से साइन कर रहा है, चाहे वह कंपनी हो या कोई व्यक्ति।

अनुलग्नक II

निषेध के संबंध में वचन

(निविदा को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा)

कार्य का नामः ....

1. मैं/हम .... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि

a) मैं/हम या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा ....(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

b) मैंने/हमने या हमारी किसी भी जुड़ी हुई फर्म* ने पिछले तीन सालों में ....(बोली जमा करने की आखिरी तारीख) तक भारत या किसी दूसरे देश में किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन/एंटिटी के साथ कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी (निविदा में बताए गए) का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

c) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बता देंगे।

2. मैं/हम, ... (बोली लगाने वाले का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ/करते हूँ/हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म * .... (संबद्ध फर्म(फर्मों का नाम) को .... (भारत अथवा किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है और यह ....(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

जगह

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को “एलाइड फर्म” कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

<u>अनुलग्नक-III (चित्र)</u>

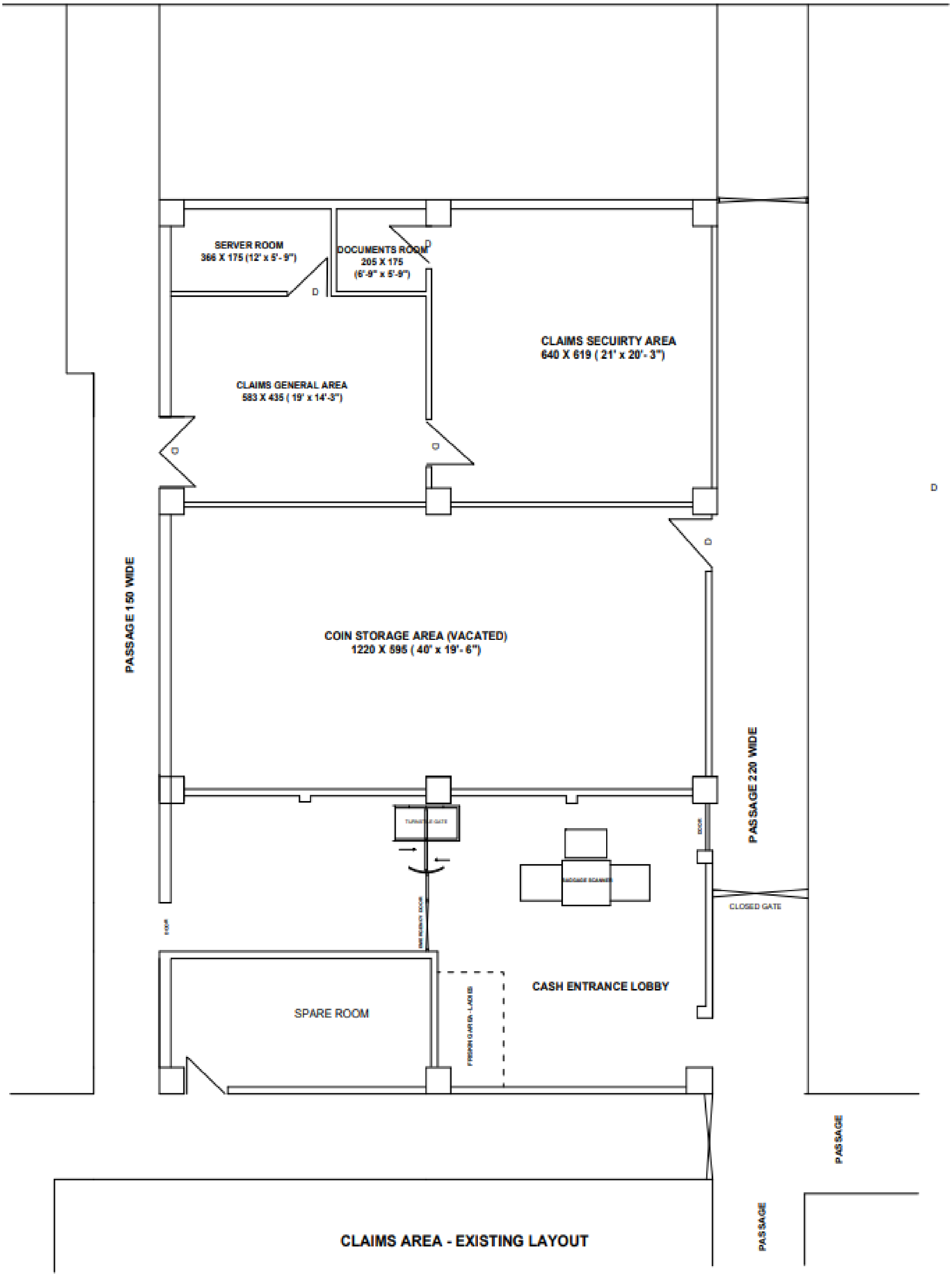
SERVER ROOM
366 X 175 (12' x 5'- 9")
DOCUMENTS ROOM
205 X 175
(6'-9" x 5'-9")
CLAIMS SECUIRTY AREA
640 X 619 (21' x 20'- 3")
CLAIMS GENERAL AREA
583 X 435 (19' x 14'-3")
PASSAGE 1 50 WIDE
COIN STORAGE AREA (VACATED)
1220 X 595 (40' x 19'- 6")
PASSAGE 2 20 WIDE
CLOSED GATE
SPARE ROOM
CASH ENTRANCE LOBBY
PASSAGE
PASSAGE
CLAIMS AREA - EXISTING LAYOUT

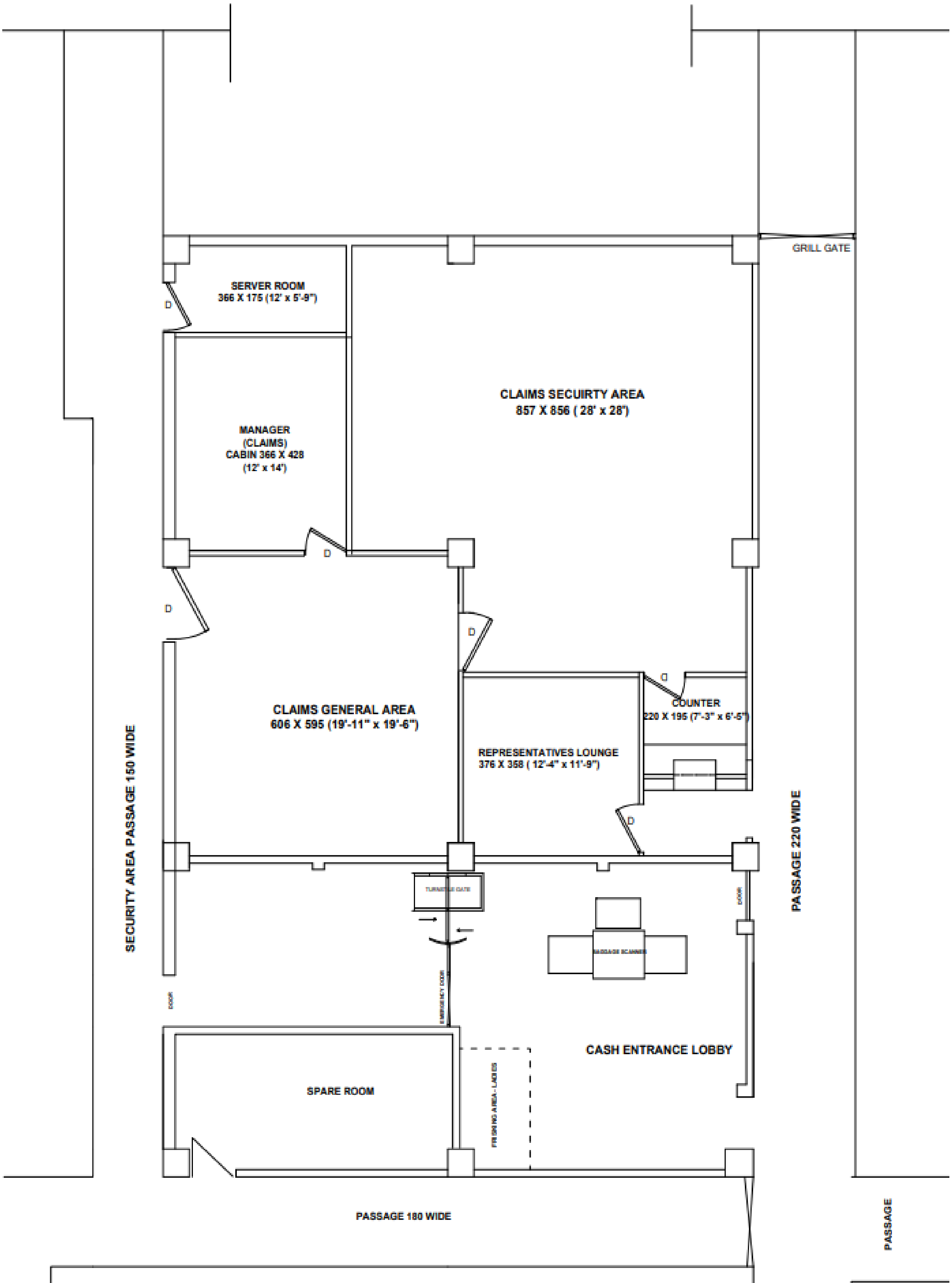

CLAIMS AREA - PROPOSED LAYOUT

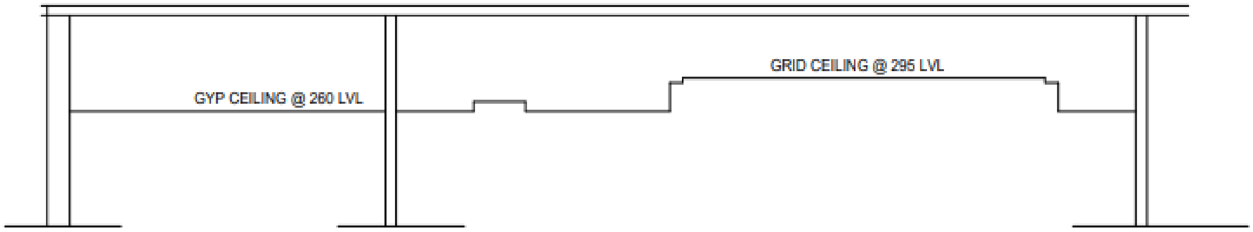

SECTION AA

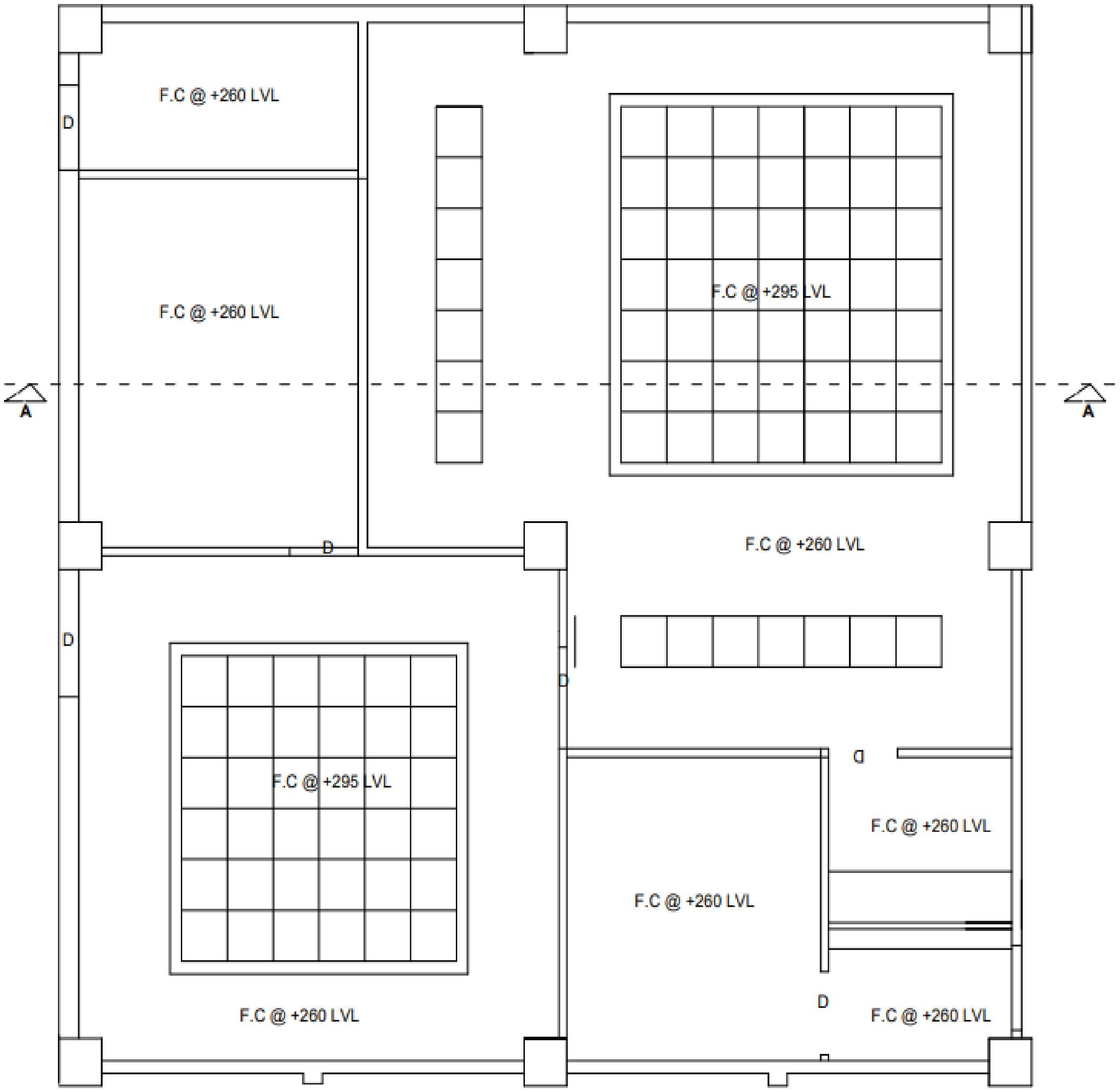

RENOVATION OF CLAIMS SECTION - PROPOSED FALSE LAYOUT

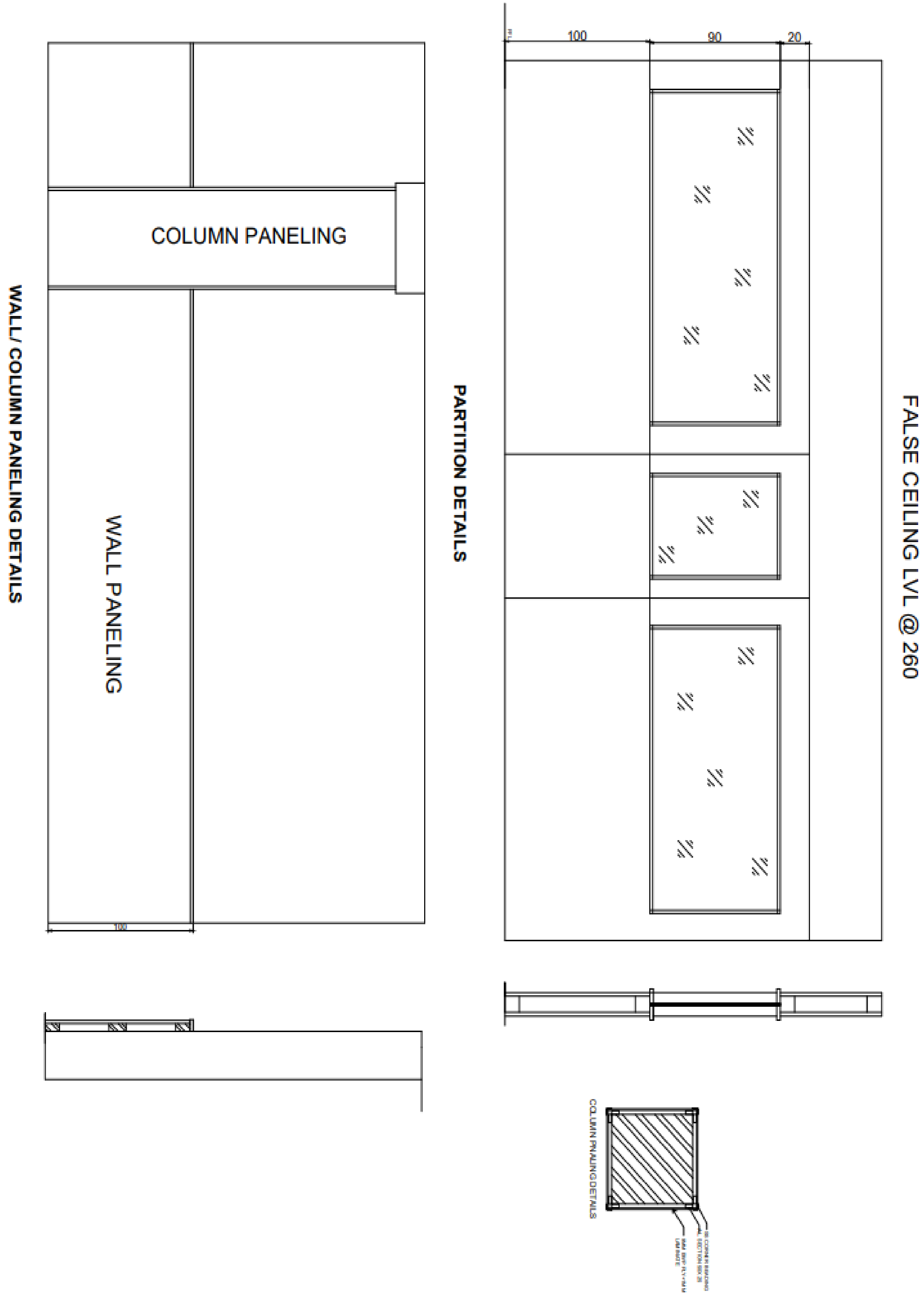
WALL/ COLUMN PANELING DETAILS
COLUMN PANELING
WALL PANELING
100
PARTITION DETAILS
100
90
20
FALSE CEILING LVL @ 260
COLUMN PANELING DETAILS

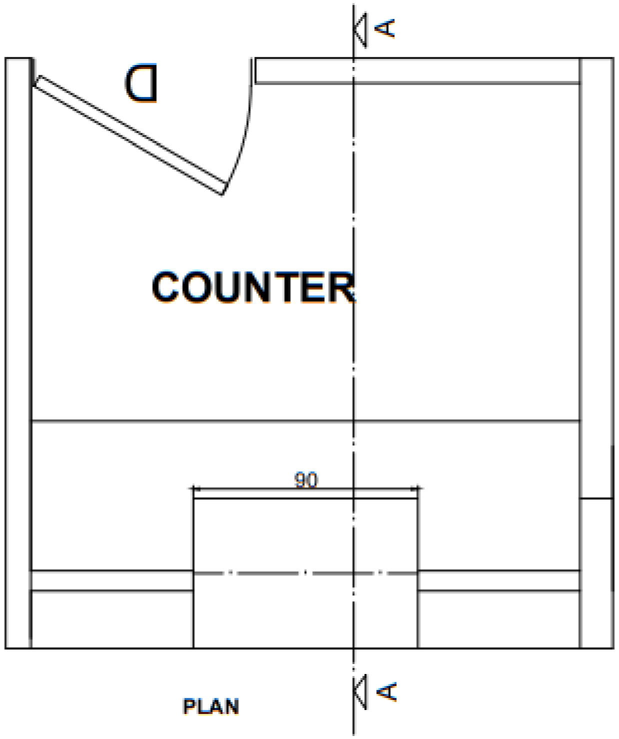

PLAN

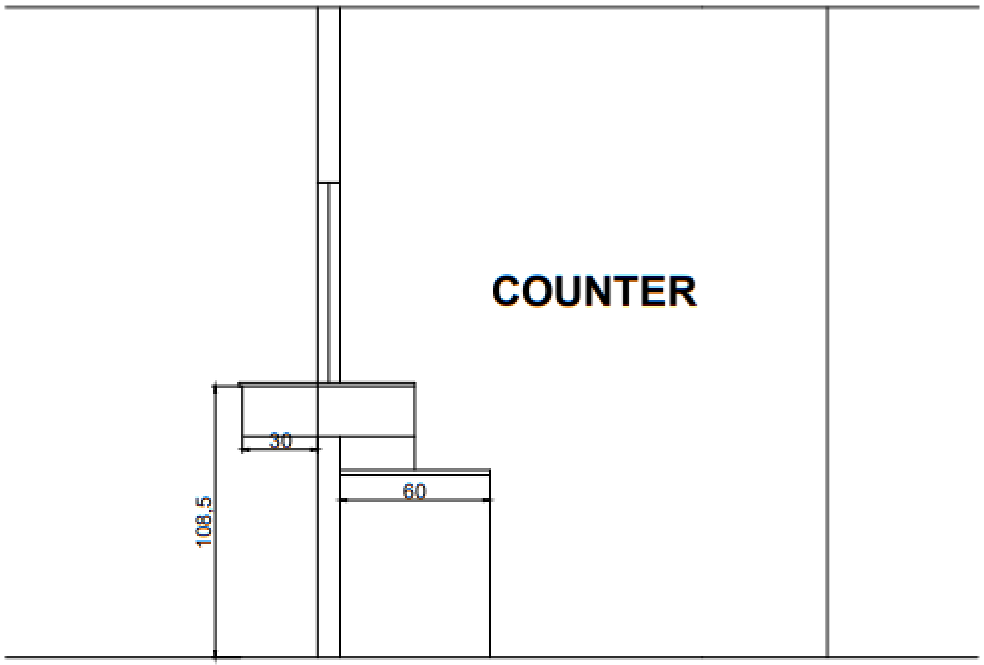

SECTION AA

CASH COUNTER DETAILS